

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक, जो दिनांक 19-2-77 को पूर्वाह्न विकास प्राधिकरण कार्यालय स्थित 6-अगदीश चन्द्र बोस मार्ग पर होगी, की कार्य-सूची

- 1- विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-10-76 के कार्यवृत्त का पुष्किकरण ।
- 2- विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-10-76 की कार्यवाही की प्रगति-आख्या ।
- 3- विन्तीय वर्ष 1976-77 का संशोधित व्ययानुमान पर विचार ।
- 4- अलगारुटीड डिवेन्स के सम्बन्ध में प्रकाशन से पूर्व प्राधिकरण द्वारा प्रास्पेक्टस के अनुमोदन के संबंध में ।
- 5- श्रुर्णों के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में ।
- 6- नीतामी द्वारा आवंटित भूखण्डों के हस्तान्तरण शुल्क का निर्धारण ।
- 7- कास्ट एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति का प्राधिकरण द्वारा पुष्किकरण ।
- 8- विकास प्राधिकरण के अधिष्ठातीय पदों का पुनः
  - (क) सामान्य प्रशासन एवं कास्ट-एकाउन्टेन्ट अनुभाग,
  - (ख) विधि अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में,
  - (ग) उपाध्यक्ष के आशुलिपिक के ग्रेड को अप-ग्रेड करने के संबंध में,
  - (घ) विकास प्राधिकरण के सचिव के वैयक्तिक सहायक के पद के संबंध में,
  - (ङ) विकास प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी वर्ग को समान वेतन-क्रम देने के संबंध में,
  - (च) नियोजन विभाग के अधिकारियों को अतिरिक्त वार्षिक वेतन-वृद्धियाँ देने के संबंध में ।
  - (छ) सहायक लेखाधिकारी के पद के संबंध में ।
- 9- जिन भूखण्डों पर मिल्क-बूथ का निर्माण किया गया है, उनकी दरों का निर्धारण ।
- 10- हाता मातादीन क्षेत्रीय आवासीय योजना को निर्मित करने के सम्बन्ध में ।
- 11- अमलगमेटेड इंजीनियर्स से सम्बन्धित विषय पर विचार करने के संबंध में ।
- 12- परिवार नियोजन के सम्बन्ध में विचार ।
- 13- ताल कटसेरा रोड योजना के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।
- 14- करामत हुसेन बालिका विद्यालय के भू-उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में ।
- 15- लखनऊ मास्टर प्लान के अनुसार सड़क की चौड़ाई से प्रभावित होने वाले अनधिकृत निर्माण को अनुबन्ध किये जाने के पश्चात् शमन किये जाने पर विचार ।
- 16- यू० पी० स्टेट इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तावित सरोजनी नगर औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्तावित संशोधित ले-आउट प्लान की स्वीकृति के लिये पुनर्विचारार्थ आख्या ।
- 17- लखनऊ मास्टर प्लान में विधान सभा मार्ग एवं स्टेशन रोड के भू-उपयोग को कार्यालय एवं व्यापारिक उपयोग के परिवर्तन पर विचार ।
- 18- अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत चतुर्थ चरण में हुडको की सहायता से 86 दो मंजिले तीव्र कमरे वाले भवन (कुल 172) का निर्माण-कार्य ।
- 19- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य कोई विषय ।

वीक क्षेत्र में स्टेडियम के निर्माण के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो गयी है जिस पर शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी। वेतना सोसाइटी को अतीव्रंज योजना में भूमि देने के विषय में शासन से वांछित सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई जिसके लिए अनुसारक भेजे गये हैं। शेखापुर कसैला में भूमि अर्जन हेतु कलेक्टर, लखनऊ के कार्यालय से कार्यवाही वांछित है। विकास प्राधिकरण का बजट पिछली बैठक में पारित किया जा चुका है और तदनुसार पूरी तेजी से कार्यवाही की जा रही है। विकास प्राधिकरण द्वारा २०-२६ करोड़ के डिबेन्चस प्राप्त किया जा चुका है जो कि ९-५ प्रतिशत ध्याज की दर से लिया गया है। शासन द्वारा दिसम्बर माह में विकास प्राधिकरण को इन्ट्रिगरेटेड सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हेतु २०-२५ करोड़ का सीड कैपिटल भी दिया गया है जिसे फलस्वरूप विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति विशेष रूप से अच्छी हो गयी है। विकास प्राधिकरण द्वारा सृजित तीन अभियंत्रण छण्डों के विरुद्ध वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टिकोण में रखते हुए सहायक अभियंता स्तर तक दो डिवीजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही संपादित की जा चुकी है। इसी प्रकार नियोजन विभाग में सहायक नगर नियोजक-असिस्टेंट आर्किटेक्ट-२, ड्राफ्ट्समैन (ग्रेड प्रथम)-१, ड्राफ्ट्समैन (ग्रेड द्वितीय)-१, वैल्यूअर-१, टैक्सिस्ट-१, ट्रेसर-३, नील मुद्रक-१ की नियुक्ति हेतु तय कर लिया गया है।

सिटी एक्सप्रेस हाई-वे पर कलर स्कीम का कार्य प्रगति पर है। पुराने डाक-खाने के प्राणण में आधुनिक व्यवसायिक केन्द्र का निर्माण काफी तेजी से कार्य किया जा रहा है। सेक्टर बैंक द्वारा दिए जाने पर लगाया गया इक्विटिवित मार्नेज की शर्तें वापस ले ली गयी हैं। अल्प आय वर्ग के ४८० भवन जो पाण्डे का तालाब तथा कर्बला मकान जहाँ में बनाये जाने की योजना के संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन दे दिया गया है और अब तक १०० से भी अधिक लोगों ने धन जमा कर दिया गया है। राज्य सरकार के लिए बनाये जा रहे १०० मध्यम आय वर्गीय भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है और इसे शीघ्रतः पूर्ण किया जाने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार ने १०० उच्च आय वर्गीय भवन विभागीय रूप से बनाने तय किये हैं अतएव विकास प्राधिकरण ने जनसाधारण के लिए उच्च वर्गीय भवनों के निर्माण की योजना बना ली है और इसे विज्ञापित कर दिया गया है जिसकी देश भर में अच्छी मांग हो रही है।

२०/- आर०एन० त्रिवेदी  
सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारणीय आख्या

विभाग : सचिव कार्यालय ।

विषय : विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-10-76 के कार्यवृत्त के पृष्ठ 8 के प्रथम अनुच्छेद में संशोधन के सम्बन्ध में ।

सारंश : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-10-76 के कार्यवृत्त के पृष्ठ 8 के प्रथम अनुच्छेद का अवलोकन करने का कष्ट करें । विकास प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय अधिष्ठान के पदों के सम्बन्ध में आपसे विचार-विमर्श करके प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था और विभिन्न अधिकारियों से सम्बन्धित पदों के बारे में आपका प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था । परन्तु यह बात स्पष्ट होने से विकास प्राधिकरण की कार्यवृत्त में रह गई, जिसके लिये निम्नांकित संशोधन आवश्यक है : -

पृष्ठ 8 की 12वीं लाइन के पश्चात् यह अंकित किया जाय :-

"तदनुसार पार्याप्त लिपिकीय पदों को स्वीकृत किया गया"

लिपिकीय पद

	<u>प्रथम श्रेणी लिपिक</u>	<u>द्वितीय श्रेणी लिपिक</u>
उपाध्यक्ष	1	-
सचिव	1	2
अतिरिक्त सचिव	-	1
मुख्य अभियन्ता	-	1
वरिष्ठ नगर नियोजक	-	1

उपाध्यक्ष के आदेश :

कृपया उपरोक्त विषय विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।

ह0/- आर0 एन0 त्रिवेदी  
सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ ।

ह0/- उपाध्यक्ष  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ ।

सं०-५

लखनऊ विकास प्राधिकरण के समस्त प्रस्तुतार्थ आख्या

विभाग : लेखा विभाग ।

विषय : अनगारन्टीड डिवेन्चर्स के संबंध में प्रशासन से पूर्व प्राधिकरण द्वारा प्रास्पेक्टस के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

सारांश : विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22-1-75 की मद संख्या - 5 में यह निश्चय किया गया था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में अनगारन्टीड डिवेन्चर्स फ्लोट किये जाय । इस कार्य हेतु समस्त शक्तियों का प्रतिनिधायक उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को किया गया था, परन्तु यह भी कहा गया था कि प्रकाशन के पूर्व प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन करवा लिया जाय । चूंकि बैंकिंग का अन्त नजदीक था और निदेशक, संस्थागत विस्तार से बात करने पर ऐसी सम्भावना व्यक्त की गयी कि यदि उक्त डिवेन्चर्स दिसम्बर 1976 तक फ्लोट नहीं कर दिये जाते तो रिजर्व बैंक द्वारा लाई जा रही क्रेडिट स्वीज के कारण सम्भवतः डिवेन्चर्स सफलतापूर्वक बाद में फ्लोट न किये जा सके । अतएव विकास प्राधिकरण के अनुमोदन की प्रत्याशा में हाउसिंग बोर्ड और अन्य विभागों द्वारा फ्लोट किये गये डिवेन्चर्स के प्रास्पेक्टस के लगभग अनुरूप प्रास्पेक्टस जारी कर दिया गया, जब कि ब्याज की दर विकास प्राधिकरण ने 8.5 प्रतिशत ही रखी है, जब कि हाउसिंग बोर्ड ने ब्याज की दर 10.5 प्रतिशत रखा था । इस प्रकार विकास प्राधिकरण को इन डिवेन्चर्स के फ्लोट हो जाने से हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य सरकारी संस्थाओं की तुलना में ब्याज की दर कम होने के कारण ब्याज में दो लाख रु० हजार रुपये प्रतिवर्ष का फायदा हुआ । यह डिवेन्चर्स अपनी सीमा से अधिक सञ्चालित हो गये अर्थात् 2 करोड़ के विरुद्ध दो करोड़ रु० लाख 80 सञ्चालित हो गये जिन्हे एनाल भी करा दिया गया है । प्रतिदान हेतु विशेष निधि खोलने का प्रबन्ध किया जा रहा है । इस आशय हेतु बैंको से आफर माँगे गये हैं । तुलनात्मक अंशदान के आधार पर लाभदायक बैंक में विशेष निधि की स्थापना कर दी जायेगी । अतः अनुरोध है कि प्राधिकरण उक्त कार्यवाही की औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें ।

ह०/- दे० बी० सक्सेना,  
मुख्य लेखा अधिकारी  
7-2-77

उपाध्यक्ष

कृपया उपरोक्त विषय विकास प्राधिकरण के समस्त प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान करें ।

ह०/- आर० एन० त्रिवेदी,  
सचिव

उपरोक्त विषय विकास प्राधिकरण के समस्त अनुमोदनाधी प्रस्तुत किया जाय ।

उपाध्यक्ष

विभाग: लेखा विभाग ।

विषय : शृणों का पुनर्निर्धारण करने के सम्बन्ध में ।

1- तखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व नगर पालिका (बाद में नगर महापालिका) के विकास अनुभाग के शासन द्वारा समय समय पर कुल रु 156,69,475/- के शृण खींचत हुये थे । तखनऊ विकास प्राधिकरण का सृजन विज्ञापित संख्या 2892/37-2-221 डी०ए० दिनांक 13-9-74 के द्वारा हो जाने के कारण इन शृणों की डिफाल्टेड धनराशि एवं चालू किस्तों के ~~प्रतिदान~~ प्रतिदान को प्राधिकरण द्वारा ग्रहण करना पड़ा । प्राधिकरण रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त शृणे का अवशेष 31-3-76 को रु 137,52,155/- वार्षिक किस्तों की धनराशि रु 13,53,120 तथा डिफाल्टेड रु 79,06,253/- है । यह उत्तेषनीय है कि इन धनराशियों के सत्यापन हेतु महा-लेखाकार से तिखा पढ़ी हो रही है । सत्यापन के उपरान्त धनराशि में संशोधन हो सकता है ।

2- मूल बजट 1976-77 के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा गठित उप समिति ने जिसमें विशेष सचिव वित्त विभाग भी सम्मिलित थे अपनी आख्या के मद 3 अनुसार निर्णय लिया कि डिफाल्टेड धनराशि के रिशेड्यूलिंग के लिये 10 वर्ष का समय रखा जाय । जिसे प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 15-10-76 में अनुशंसा सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दी, तदनुसार बजट में चालू किस्तों के साथ साथ 10% डिफाल्टेड धन का प्राविधान भी कर दिया गया ।

3- प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के उपरान्त उपाध्यक्ष महोदय के पत्र संख्या 102/सी० ओ०ए० दिनांक 4-12-76 द्वारा शासन को उक्त मामलों प्रस्तुत कर दिया गया है ।

4- परन्तु उपरोक्त कार्यवाही से पूर्व शासन ने अपनी एक राजाज्ञा सं० यू०ओ० 200/37-1-76 दिनांक 23-8-76 द्वारा यह सुझाव दिया है कि "रि-शेड्यूलिंग करने पर वर्तमान शृण नये शृण माने जायेंगे । जिस पर विकास प्राधिकरण को इस समय प्रचलित दर पर ब्याज देना होगा । क्या यह शर्त विकास प्राधिकरण को मान्य है ? यदि हाँ तो कृपया इस सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण ने प्रस्ताव पारित करवाकर उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि भी भेजी जाय " (प्रतिलिपि संलग्न है) यह सुझाव न मानने का औचित्य यह है कि वर्तमान ब्याज की दरें 9% है (तथा एक भी ~~किस्त~~ भिद्य होने पर ब्याज की दर 12.5% हो जायेगी) जबकि वर्तमान शृण 4.5% से 6.75% तक है तथा शुभताज अवधि 30 वर्ष होगी इस प्रकार व्यय भार बहुत बढ़ जायेगा । प्राधिकरण ने उपरोक्त प्रस्तर 2 में जो निर्णय लिया है उससे डिफाल्टेड धनराशि <sup>सीमा</sup> बढ़ा भी हो जायेगी और शुभताज भी नहीं बढ़ेगा ।

अतः प्राधिकरण कृपया संलग्न शापवादेश पर उपरोक्त स्थिति में उचित निर्णय लेने का कष्ट करें ।

5/7

( 2 )

उपाध्यक्ष कृपया उपरोक्त आचा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश  
प्रदान करें ।

हO/- आरO एमO त्रिवेदी,  
सचिव

हO/-  
उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विद्या प्राधिकरण,  
लखनऊ ।

5/2

राज्या संख्या- यू० ओ० 200/37-1-76 दिनांक लखनऊ 23 अगस्त, 1976  
प्रेषक श्री विनय कृष्ण, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, निवास अनुभाग-(1)  
सेवा में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

- 0 - 0 -

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के आवासीय ऋणों की देय मूलधन तथा  
ब्याज की धराराशियों का रिशेड्यूलिंग का प्रस्ताव ।

-----

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के मार्च 1976 तक देय बकाया आवासीय ऋणों की मूलधन तथा ब्याज की धराराशियों का रिशेड्यूलिंग के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु कृपया निम्नलिखित सूचना शासन को तुरन्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

- (1) विकास प्राधिकरण, लखनऊ की गत तीन वर्षों की आवर्तक आय तथा व्यय का विवरण ।
  - (2) यदि विकास प्राधिकरण, लखनऊ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वे अपने प्रभाव बढ़ाने के लिये क्या प्रयास कर रहे हैं । जिससे कि वे भविष्य में ऋणों के प्रतिदान में सक्षम हो सके ।
  - (3) रिशेड्यूलिंग करने पर वर्तमान ऋण नये माने जायेंगे जिस पर विकास प्राधिकरण को इस समय प्रचलित दर से ब्याज देना होगा । क्या यह शर्त विकास प्राधिकरण को मान्य है ? यदि हाँ, तो कृपया इस संबंध में विकास प्राधिकरण से प्रस्ताव पारित करवाकर उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि भी भेजी जाय ।
- (2) यहाँ यह भी सूचनाय है कि रिशेड्यूलिंग योजनावार स्वीकृत देय ऋण तथा उस पर देय ब्याज का ही होगा ।

भवदीय,

विनय कृष्ण  
अनु सचिव

प्रमाणित

ह०/-के० बी० सक्सेना  
मुख्य लेखा अधिकारी  
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

34 सो-6

ट्रस्ट विभाग

विकास प्राधिकरण, लखनऊ, लखनऊ नगर

विषय:-

विकास प्राधिकरण लखनऊ के हस्तगत उपलब्ध विभिन्न योजनाओं में भूखण्डों के हस्तान्तरण पर हस्तान्तरण शुल्क निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

विषय वस्तु :-

श्रीमती पद्मा सेठ आवंटि भूखंड सं० बी० १६१ स्थिति खल्लपुर, इरादत नगर योजना, लखनऊ द्वारा, प्रस्ताव प्रार्थना पत्र दिनांक ४-१०-७६ पर विचार करना है जिसमें अनुरोध किया गया है कि नीलाम किये गये भूखंड पर हस्तान्तरण शुल्क नहीं लिया जाये।

-----

श्रीमती पद्मा सेठ ने नीलाम दिनांक २१-३-६८ में भूखंड सं० बी० १६१ खल्लपुर इरादत नगर योजना में रु० ४-०५ पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से रूपया ३७,०००) प्रिमियम देकर ६,१५८ वर्ग फुट भूमि क्रय की थी जिसकी रजिस्ट्री भी इनके पदा में ६-११-७१ को की गई। भूखंड ६० वर्षों के पट्टे पर दिया गया है। उक्त भूखंड को श्रीमती पद्मा सेठ बेचना चाहती हैं जिसके लिये विकास प्राधिकरण से अनुमति मांगी है।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि पट्टे की शर्तों के अनुसार जिन भूखंडों के लीज हॉल्ड के अधिकार को हस्तान्तरण करने के लिये प्राधिकरण को पूर्ण अनुमति उपबन्धित है उसके लिये भूखण्ड नगर महापालिका, लखनऊ की कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव सं० १६० दिनांक २४-१०-७० (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार मूल प्रिमियम दर पर ५ प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क जमा करा कर आवंटि के लीज हॉल्ड अधिकारों को हस्तान्तरण करने की अनुमति दी जाती थी किन्तु यह देखा गया कि आवंटित भूखंडों को अन्त प्रायः लीज ( आवंटि) व्यक्तीगत लाभ हेतु अधिक दामों में विक्रय कर न देते थे जिस से भूखण्ड-खारी को प्रोत्साहन होता है। अतएव कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित संकल्प सं० २६७ दि० ८-१०-७४ द्वारा हस्तान्तरण शुल्क ५ प्रतिशत से बढ़ा कर ३० प्रतिशत कर दिया गया। तदनुसार, १ अक्टूबर, १९७४ के बाद से प्राप्त प्रकरणों पर ३० प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क जमा करा कर भूखंड के लीज हॉल्ड अधिकार हस्तान्तरण करने की अनुमति दी जाती है।

श्रीमती पद्मा सेठ अनुरोध कर रही हैं कि चूंकि इन्होंने भूखंड नीलाम में क्रय किया है और इन्हें आवंटित नहीं किया गया है अर्थात् प्रचलित बाजार भाव से लिया है, इसलिये इनसे हस्तान्तरण शुल्क न जमा कराया जाये और भूखंड को बेचने की अनुमति प्रदान की जाये। ज्ञातव्य है, कि कार्यकारिणी के उपरोक्त निर्णय में इसका

कोई पैसा <sup>नहीं</sup> रखा गया है कि यह हस्तान्तरण शुल्क आवंटित भूखंडों के सम्बन्ध में लागू होगा या नीलामी द्वारा <sup>वि-</sup> किये भूखंडों पर लागू होगा, हालांकि इनमें अन्तर रखना औचित्य पूर्ण है। नीलामी के भूखंडों के लिये भी हस्तान्तरण शुल्क की कोई दर विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा ही निर्धारित किया जाना चाहिये-

विभागीय अनुज्ञा:-

आवंटन और नीलामी से प्राप्त किये गये भूखंडों के हस्तान्तरण में शुल्क की दरों में अन्तर रखना उचित प्रतीत होता है परन्तु नीलामी के भूखंडों पर हस्तान्तरण शुल्क की दर क्या रखी जाये यह विकास प्राधिकरण को ही निर्धारित करना है। अतएव विषय प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

डॉ. राजीव रत्न शाह  
१४-१-७९  
उपाध्यक्ष ।  
विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

प्रकाश :-

मिलाया :-

सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि

*Z. S. S.*  
कार्यालय अधीक्षक

6/2

प्रतिलिपि

लखनऊ नगर महापालिका कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव संख्या १६० दिनांक २४-१०-१९७० ।

का


आईएम संख्या २०२ -


लखनऊ नगर महापालिका कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव संख्या २२ दिनांक २९-८-७० द्वारा नियुक्त प्लॉटों के हस्तान्तरण तथा नाम परिवर्तन का विषयक उप समिति के प्रतिवेदन दिनांक ३-१०-१९७० पर विचार लिया गया।

प्रस्ताव संख्या १६० :-

निश्चय हुआ कि समस्त योजनाओं में रजिस्ट्री किये गये प्लॉटों के हस्तान्तरण अथवा नाम परिवर्तन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाये।

- १- भूखंड के आवंटनी जो यह नगर छोड़ना चाहते हैं।
- २- अपने मित्रों को सम्बन्धियों को अथवा अन्य कारणों से किसी व्यक्ति को अपना भूखंड हस्तान्तरित करना चाहते हैं।
- ३- उक्त हस्तान्तरण की सुविधा में महापालिका द्वारा चार्ज किये गये प्रीमियम की धराराशि का ५ प्रतिशत धन महापालिका कोष में जमा करने पर दी जा सकती है।

पठार - 

मिलान्या - 

सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि

कार्यालय अधीक्षाक

मद सं-7

विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आस्था

विषय :- कास्ट एकाउन्टेन्ट के पद पर नियुक्ति का पुष्टीकरण ।

विषय वस्तु :- विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी बैठक दिनांक 25-7-76 में कास्ट एकाउन्टेन्ट का एक पद सृजित किया गया था । तदुपरान्त उक्त बैठक में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधिवत् चयन करके श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना को कास्ट एकाउन्टेन्ट के पद पर वेतनमान रु० 800-50-1450 एवं अन्यअनुमन्य भत्तों पर उपाध्यक्ष के आदेश सं० 380/सा०प्र० दिनांक 26-1-76 द्वारा नियुक्ति किया गया है । श्री सक्सेना ने दिनांक 29-1-76 को पूर्वाह्न कार्यभार ग्रहण कर लिया है । चूंकि प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट कास्ट एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा होनी अभिप्रेत है । अतः औपचारिक पुष्टीकरण हेतु विषय प्रस्तुत करने की प्रस्तावना की जाती है ।

ह० सामी दयाल मिश्र  
कार्यालय अधीक्षक  
6-1-77

विभागाधिकारी की संस्तुति :-

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-7-76 की मद संख्या 4(7) द्वारा मुख्य अभियंता आर्कीटेक्ट टाउन प्लानर एवं कास्ट एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की गई है । अतः श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना की कास्ट एकाउन्टेन्ट पद पर वेतनमान रुपया 800-50-1450 एवं अन्य अनुमन्य भत्तों सहित नियुक्ति की औपचारिक पुष्टीकरण की अनुमति की जाती है ।

ह० प्र०बा० वाजपेयी  
अतिरिक्त सचिव

उपाध्यक्ष/सचिव के आदेश :-

विकास प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

ह० आर०एन० त्रिवेदी  
उपाध्यक्ष/सचिव

प्रमाणित

मद सं- 8(क)

तखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आया

विषय:- सामान्य प्रशासन विभाग का गठन,  
 2 प्रथम श्रेणी, 4 द्वितीय श्रेणी लिपिकों व 5 स्टेनों तथा एक चपरासी व एक स्वीपर  
 विषय वस्तु :- के पदों का सृजन ।

तखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-10-76 की कार्यवाही के मद संख्या 4(7) पर विचार करते हुये प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया गया था कि केन्द्रीय अधिष्ठाता के गठन के सम्बन्ध में नये पदों की आवश्यकता पर उपाध्यक्ष वस्तु स्थिति का अध्ययन करके अपने प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत करें । जैसा प्राधिकरण की पिछली बैठक में स्पष्ट किया गया था, तखनऊ विकास प्राधिकरण के बनने से पूर्व नगर महापालिका का सामान्य प्रशासन विभाग ही अन्य विभागों के साथ विकास विभाग के अधिष्ठाता सम्बन्धी कार्य कर रहा है । विकास प्राधिकरण के गठन होने पर सामान्य प्रशासन सम्बन्धी प्रकीर्ण कार्य एवं अधिष्ठाता का कार्य करने के लिये वहाँ कोई कर्मचारी नहीं रह गया । अतएव, कार्यालय अधीक्षक (विकास) की सहायता के लिये अस्थाई रूप से प्राधिकरण के विभिन्न विभागों से कुछ लिपिक लेकर यह कार्य प्रारम्भ करा दिया गया किन्तु ये विभाग निरन्तर अपने कर्मचारियों की वापसी की मांग करते रहे हैं । चूंकि प्राधिकरण के सभी विभागों में इस बीच कार्यभार इतना बढ़ गया है कि उनके कर्मचारियों को वापस न देना कार्यहित में न होगा और प्रारम्भ में लगभग 300 कर्मचारियों का अधिष्ठाता से सम्बन्धित, जो कार्य उपरोक्तानुसार अस्थाई तौर पर पूरा कराया जा रहा था वह भी काफी बढ़ गया है, क्योंकि समय-समय पर लगभग 170 और पद सृजित हो गये हैं जिन पर अधिकांशतः नियुक्तियाँ हो गई हैं और शेष पद भी शीघ्र ही भर दिये जायेंगे इसलिये सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त गठन की आवश्यकता द्रुत रूप से स्पष्ट है ।

प्राधिकरण की पिछली बैठक में उपरोक्त कार्य के लिये दो प्रथम श्रेणी लिपिक एवं तीन द्वितीय श्रेणी लिपिक पदों के सृजन की संसृति की गई थी । इनमें से चार लिपिक विभिन्न समवर्ग के कर्मचारियों के व्यक्तिगत अभिलेख, आदेश पुस्तिका, सेवापुस्तिका, वरिष्ठ-पंक्तियाँ पेशनाम फाउ एवं ग्रंथ्युटी इत्यादि-इत्यादि से सम्बन्धित कार्य पर तैयार होते हैं और एक लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग का प्रकीर्ण कार्य करेगा । अतिव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये सम्प्रति इतने ही पदों के सृजन करने की संसृति की जाती है और यदि बढ़ते हुये कार्य के कारण इनसे कार्य न चलाया जा सके तो इस विषय का नतीजा पुनः विवेचन करने के पश्चात् कोई नई मांग प्रस्तुत की जायेगी ।

2- तखनऊ विकास प्राधिकरण के गठन के पूर्व तत्कालीन उप नगर अधिकारी, नगर अभियन्ता (विकास) एवं नगर अभियन्ता (नगर) के लिये एक-एक स्टेनो के पद सृजित थे । प्राधिकरण के गठन के पश्चात् स्टेनो के दो पद और सृजित किये गये जिनमें से एक पर उपाध्यक्ष के लिये स्टेनो की नियुक्ति हुई और इसी बीच शासन द्वारा एक अतिरिक्त सचिव

की नियुक्ति होने पर दूसरे स्टेजो के पद पर व्यवस्था करके एक व्यक्ति उन्हें दे दिया गया। अन्ततः यह निर्णय लिया गया कि स्टेजो के जो दो नये पद सृजित किये गये थे, उनमें से एक उपाध्यक्ष के लिये और दूसरा सचिव के लिये माना जाय। अतएव अतिरिक्त सचिव के साथ-साथ मुख्य अभियन्ता, कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं अधिशासी अभियन्ता (आवास) के स्टेजो के लिये चार पद भी औपचारिक रूप से स्वीकृत करने की संसुति की जाती है।

3- प्राधिकरण की दिनांक 25-7-75 की बैठक द्वारा एक कास्ट एकाउन्टेन्ट का पद सृजित किया गया जिस पर नियुक्ति की जा चुकी है। इस पद के सृजन के साथ कास्ट-एकाउन्टेन्ट के लिये कोई सहायक का पद नहीं सृजित किया गया था। अतएव उनके लिये एक स्टेजो, एक लिपिक एवं एक चपरासी का पद सृजित करने की संसुति की जाती है।

एक स्वीपर के पद का सृजन कार्यालय  
जाय।

की सफाई आदि के लिए कर लिया  
हो/- आर० एन० त्रिवेदी  
सचिव।



सद संख्या :-  
~~~~~

- 8 (घ)- सचिव, विकास प्राधिकरण व उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के )  
सचिव के पदों का सृजन के संबंध में । ) पृथक  
8 (ड)- विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को समान वेतनक्रम देने के )  
सम्बन्ध में । ) से  
) प्रस्तुत  
)

नद सं-8(६०)

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आव्या

विषय :- नियोजन विभाग के लिये स्वीकृत कतिपय पदों पर चयन के पश्चात् नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चयन समिति की अनुशंसा पर उनके वेतनक्रम में अग्रिम वेतन वृद्धियाँ दिये जाने के सम्बन्ध में ।

सारांश : उ विंतीय हस्त पुस्तिका भाग 2, 4 के मूल्यों 27 के अन्तर्गत किसी पद की धारा को उसके वेतन क्रम में अग्रिम वेतन वृद्धियाँ वही प्राधिकारी स्वीकृत कर सकता है जिसे उक्त वेतनक्रम में पदों को स्वीकृत करने का अधिकार हो ।

अभी हाल में नियोजन विभाग के लिये सहायक नगर नियोजक के स्वीकृत पदों पर जिसका वेतनमान रु 550-30-700-40-900-40-1200-50-1200 है, पर श्री सतीशचन्द्र धिल्लियाल व श्री जी०बी०सिंह की नियुक्तियाँ की गई हैं । यह अधिकारी प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व क्रमशः हरियाणा व राजस्थान राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत थे । सामान्य कार के समय इन दोनों अभ्यर्थियों ने अपना वेतन सुरक्षित करने का अनुरोध समिति के समक्ष किया था क्योंकि यही दोनों अभ्यर्थी उपयुक्त पाये गये अतः समिति ने इन दोनों अभ्यर्थियों को उक्त वेतनक्रम में पाँच-पाँच अग्रिम वेतन वृद्धियाँ देने की अनुशंसा की, समिति की अनुशंसा के अनुसार इन्हे पाँच-पाँच अग्रिम वेतन वृद्धियाँ देते-ये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रु 700 मूल वेतन तथा उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को देय अन्य सभी भत्तों पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया । जिसके प्रति उत्तर में इन दोनों अधिकारियों ने प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

अतः यह अनुशंसा की जाती है कि प्राधिकरण, श्री लक्ष्मी सतीश चन्द्र धिल्लियाल व श्री जी० बी० सिंह, सहायक नगर नियोजक को रु 550-1200 के वेतनक्रम में इनको दी गई पाँच अग्रिम वेतन वृद्धियाँ की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करें ।

ह०/- के०पी०सिंह  
14-2  
वरिष्ठ नगर नियोजक,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ ।

ह०/- आर०एन०त्रिवेदी  
सचिव,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ ।

प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।

उपाध्यक्ष

8-8/1

**\*\* लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ अध्या \*\***

विषय:-- नियोजन विभाग में ड्राफ्ट्स मैज ग्रेड (प्रथम) व ड्राफ्ट्स मैज ग्रेड (द्वितीय) की नियुक्ति करने हेतु उनका मूल वेतन सुरक्षित करने एवं अग्रिम वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत करने के संबंध में।

\*\*

प्राधिकरण के नियोजन विभाग के लिए आर्च-कम प्लानिंग असिस्टेंट तथा ड्राफ्ट्स मैज ग्रेड (प्रथम) पदों के लिए अभ्यर्थियों का सलाहकार चयन समिति द्वारा किया गया था। समिति ने आर्च-कम प्लानिंग असिस्टेंट पद के लिए आये अभ्यर्थियों में से जिनका चयन किया, उन्हें ड्राफ्ट्स मैज ग्रेड (प्रथम) के लिए ही उपयुक्त पाया तथा ड्राफ्ट्स मैज ग्रेड (प्रथम) के लिए आये अभ्यर्थियों में से चुने गए अभ्यर्थियों को ड्राफ्ट्स मैज ग्रेड (द्वितीय) के लिए उपयुक्त पाया। अतः चुने गए अभ्यर्थियों को यह सूचित किया गया कि यदि वे चयन समिति की अनुसंधानकार पदों पर कार्य करने के लिए इच्छुक हों तो अपनी लिखित सहमति भेजें ताकि नियुक्ति पत्र जारी किया जा सके। उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया था कि वे जिन विभाग में कार्यरत हैं, वहीं प्राप्त कर रहे उनके मूल वेतन सुरक्षित रखने पर भी विचार किया जायेगा जिसके प्रत्युत्तर में (1) श्री सैयद मोहम्मद जिनका चयन आर्च-कम-प्लानिंग असिस्टेंट जिसका वेतन क्रम रु० 350-700 है के विरुद्ध ड्राफ्ट्स मैज ग्रेड (प्रथम) जिसका वेतन क्रम रु० 325-575 है के लिए हुआ है ने अपनी सहमति देते हुए सूचित किया है कि इस समय वह रु० 338-00 मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इनके मूल वेतन को सुरक्षित रखने के लिए रु० 325-10-375-ई०बी०-12-495-ई०बी०-16-5-75 के वेतन क्रम में इनको कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से दो अग्रिम वेतन वृद्धियाँ देनी होंगी। इस प्रकार इनका मूल वेतन प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रु० 345-00 निर्धारित होगा।

(2) श्री राज किशोर भटनागर जिनका चयन ड्राफ्ट्स मैज ग्रेड (प्रथम) के विरुद्ध ड्राफ्ट्स मैज ग्रेड (द्वितीय) जिसका वेतन क्रम रु० 280-8-296-ई०बी०-9-350-ई०बी०-10-400-ई०बी०-12-460 है, के लिए हुआ है ने अपनी सहमति देते हुए सूचित किया है कि वे इस समय केन्द्रीय परिकल्प विदेशालय, सिवाई विभाग में ड्राफ्ट्स मैज के पद पर जिसका वेतनीमान रु० 280-8-296-ई०बी०-9-350-ई०बी०-10-400-ई०बी०-12-460 है पर कार्य कर रहे हैं तथा उस वेतन क्रम में इनका मूल वेतन रु० 350-00 है इन्होंने ड्राफ्ट्स मैज ग्रेड (द्वितीय) के वेतन क्रम रु० 280-460 में अपने इस मूल वेतन को सुरक्षित करते हुए उसके पश्चात् चार या पाँच अग्रिम वेतन वृद्धियाँ माँगी है। चूंकि श्री भटनागर रु० 280-460 के वेतन क्रम में ही कार्य कर रहे हैं। अतः प्राधिकरण में आने की उत्सुकता बनी रहे, इनके मूल वेतन रु० 350-00 को सुरक्षित रखते हुए इन्हें रु० 350-00 के पश्चात् एक अग्रिम वेतन वृद्धि दिए जाने पर विचार किया जा सकता है।

8-8/2.

(3) श्री वीरेन्द्र कुमार जिनका चयन ड्राफ्टमैन ग्रेड(प्रथम) के विरुद्ध ड्राफ्टमैन ग्रेड (द्वितीय) के पद छद् के लिए हुआ है वे अपनी सहमति दी है । श्री वीरेन्द्र कुमार इस समय कृषि निदेशालय में मान चित्रकार के पद पर रु 392-00 मूल वेतन प्राप्त कर रहे है । इनके इस मूल वेतन को सुरक्षित करने के लिए ड्राफ्टमैन ग्रेड( द्वितीय) के वेतन क्रम रु 280-8-296-ई0बी0-9-350-ई0बी0-10-400-ई0बी0-12-460 में बारह अग्रिम वेतन वृद्धियाँ देली होगी । इनका मूल वेतन रु 400-00 पर निर्धारित किया जायगा ।

अतः अनुशांसा की जाती है कि(1) श्री सैय्यद मोहम्मद शाहिद को ड्राफ्टमैन ग्रेड(प्रथम) के वेतन क्रम रु 325-575 में दो अग्रिम वेतन वृद्धियाँ इनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्वीकृत की जाए । इस प्रकार प्राधिकरण के इनका मूल वेतन रु 345-00 निर्धारित किया जायगा ।

(2) श्री राज किशोर भटनागर को रु 280-460 के वेतन क्रम में इनके रु 350-00 मूल वेतन को सुरक्षित करने के पश्चात् एक अग्रिम वेतन वृद्धि देने की स्वीकृति प्रदान की जाये ।

(3) श्री वीरेन्द्र कुमार को ड्राफ्टमैन ग्रेड(द्वितीय) के वेतन रु 280-460 में इनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इनके द्वारा कृषि निदेशालय में प्राप्त किए । रहे इनके मूल वेतन रु 392-00 को सुरक्षित करने के लिए बारह अग्रिम वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत की जाये ।

ह0/- के0पी0 सिंह  
वरिष्ठ नगर नियोजक  
तख्तनरु विकास प्राधिकरण, तख्तनरु

14-2

ह0/- आर0एन0 त्रिवेदी  
सचिव  
तख्तनरु विकास प्राधिकरण ।

प्रदस-४(ज)

विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग:- लेखा विभाग

मद सं ४(ज)

विषय :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण का गठन १३-६-७४ को हुआ था इसके पूर्व विकास विभाग महापालिका का एक अनुभाग था तथा उसके लैसे जैसे महापालिका बजट के अन्तर्गत तथा लेखा अधिकारी के अधीन रहते जाते थे उक्त कार्यो के आगन्विन हेतु महापालिका लेखा अधिकारी का एक पद था महापालिका बजट में विकास अनुभाग का अंशतः बजट रु० ३,५२,००,००० के आधा होता था । विकास प्राधिकरण के सृजन के उपरान्त कार्यो में व्यापक रूप में वृद्धि हुई तथा प्रथम बजट वर्ष १९७५-७६ का रु० ५,८६,००,००० का बना जा बढ कर बाद में १० करोड़ में अधिक का हो गया । स्वाभाविक है कि उक्त बजट का संचालन अन्य कार्यो के साथ एक महापालिका लेखा अधिकारी की देख रैख में चला रूप में नहीं चल सकता । ऐसी परिस्थिति में जब कि मुख्य लेखा-अधिकारी की नियुक्ति भी शक्य नहीं हुई ( लेखा अधिकारी नगर महापालिका द्वारा कार्य देखा जा रहा था ) तथा वरिष्ठ लेखा अधिकारी एवं लेखा अधिकारी के पद भी सृजित नहीं करायें गये लैसे का संचालन अत्यन्त कठिन था तथा लैसे का परिपालन सम्भव नहीं था अतः उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण ने न्यूनतम आवश्यकताओं की परिपूर्ति हेतु तथा बड़े उच्च पदों के सृजन करने के बजाये एक महापालिका लेखा अधिकारी का पद वैतनमान ४२५-६०० तथा अनुमन्य पदों पर अपने आदेश संख्या ६४१ मुख्य विभाग । अधि० दिनांक १९-५-७५ द्वारा सृजित करके महापालिका के एक अनुभवी एवं वरिष्ठ लेखाकार श्री <sup>जोशी</sup> सुरमान ( जो उक्त समय महापालिका के महापालिका लेखा अधिकारी पद पर कार्यरत थे ) की नियुक्ति कर दी ।

हा समय विकास प्राधिकरण का कार्य बहुत ही व्यापक है श्रृणों के लैसे जैसे श्रृण परिषद , बजट समान्य आय व्यय के दैनिक कार्य बढ़ते जा रहे है अतः उच्च वर्तमान पदों के सृजन के बजाए जितने अधिक व्यय भार बढ़ेगा उपाध्यक्ष महोदय की कार्यवाही विकास प्राधिकरण के तित में ही उपाध्यक्ष ने अपने आदेश दिनांक १०-२-७७ द्वारा प्राधिकरण के पदा प्रस्तुत करने के आदेश भी दे दिये थे ।

उक्त परिस्थितियों में प्राधिकरण द्वारा उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गयी कार्यवाही अनुमोदित करने हुए महापालिका लेखा अधिकारी का एक पद ४२५-६००- के वैतनमान तथा अनुमन्य मंदाग्यि पदों पर स्वीकृत करने का कष्ट करे ।

ह० आर० एन० त्रिवेदी  
 पंचि  
 विकास प्राधिकरण ,  
 लखनऊ ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचाराधीन आख्या

संख्या- 9

नगर के विभिन्न क्षेत्रों में 100 टाइटल के 17 तथा वी 0 टाइटल के 13 मिल्क बूथों का निमाणी प्रस्तावित था। इनमें क्रमशः 15 तथा 13 मिल्क बूथों का निमाणी कराया जा चुका है एवं उनका काम लखनऊ प्रोद्योगिकी कॉर्पोरेशन मिल्क यूनियन लि० को दिया जा चुका है। शेष मिल्क बूथों का निमाणी प्रगति पर है जिन मूखियों पर मिल्क बूथों का निमाणी कराया जा रहा है वह विकास प्राधिकरण तथा नगर महापालिका की है। इसका विराम लखनऊ प्रोद्योगिकी कॉर्पोरेशन मिल्क यूनियन देगी। तदनुसार आयुक्त सचिव उ० प्र० शासन द्वारा उत्पादन एवं ग्राम विकास की इस कार्यालय के उ० शा० पत्र सं० 325/सी०/प्रशासन दिनांक 5 मार्च 1966 (प्रतिनिधि संलग्न) निम्नलिखित शर्तों में मंजूर की गयी थी :-

- 1- जो स्थानिक महापालिका अथवा विकास प्राधिकरण की भूमि पर निर्मित किये जायेंगे जिनके प्राप्ति का निमाणी 5/10 पैस प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह की दर से सहकारिता विभाग द्वारा देय होगा।
- 2- स्थानिक का निमाणी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारिता विभाग के ठीक पर किया जावेगा।
- 3- जब भी लखनऊ विकास प्राधिकरण के नगर महापालिका की सव वी० टि० अथवा अन्य किसी पर्योजना से पूरनगत भूमि का आवश्यकता होगी तो स्थानिक सहकारिता विभाग को एक माह की नोटिस पर अपने सर्व पर हटवाना होगा और कोई भी हजेराना लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदन देय न होगा।
- 4- उपयुक्त भूमि को सहकारिता विभाग अथवा उसकी ओर से अन्य किसी द्वारा उत्खनन करने पर अनुबंधन के तहत समाप्त समकाल आवेदन और भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रति कर के वापस ली जायेगी।

दिनांक 10-3-66 को सचिव के खा में हुयी बैठक में निम्न बूथों के सम्बंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यह कहा कि मिल्क बूथों के निमाणी के लिए प्रति टाइटल 1- 10 वाणिज्य विराम देना का जो निर्णय किया गया है वह बहुत कम है। सचिव सचिव ने यह बताया कि यह निर्णय आसन की ओर से अंतिम रूप में लिया गया और हर्ष कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो लखनऊ विकास प्राधिकरण से इस सम्बंध में स्वीकृति प्राप्त की जाये और प्राधिकरण उसके लिए संकल्पनाओं को स्वयं आसन विभाग के भी आदेश प्राप्त कर लिये जाये।

अतः वर निर्धारित करने हेतु आख्या लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचाराधीन प्रस्तुत है।

नगर अधियन्ता (विकास)

पत्र संख्या ३२७। दिनांक ५ मार्च, १९७६ केन्द्र, राजीव गान्धी विद्यापीठ, लखनऊ। उपर्युक्त विभाग प्राधिकरण, लखनऊ विद्यापीठ, लखनऊ। उपर्युक्त विभाग प्राधिकरण, लखनऊ विद्यापीठ, लखनऊ। उपर्युक्त विभाग प्राधिकरण, लखनऊ विद्यापीठ, लखनऊ।

सूचना लखनऊ नगर में औद्योगिक मिल्क युनियन के मिल्क वृथों पर अन्य आवश्यक वस्तुओं के बिक्री की व्यवस्था के संबंध में श्री राजीव गान्धी विद्यापीठ, लखनऊ। उपर्युक्त विभाग प्राधिकरण, लखनऊ विद्यापीठ, लखनऊ। उपर्युक्त विभाग प्राधिकरण, लखनऊ विद्यापीठ, लखनऊ।

नगर के विभिन्न आंगणों में ३० मिल्क वृथों के निर्माण करने के लिये बरिष्ठ नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मिल्क वृथ डिजाईन तैयार किया गया है जिसका एक प्रति आपके अंगण संलग्न है। इन मिल्क वृथ के निर्माण पर रु० १,७३,२५०।- व्यय होगा जो कि सहकारिता विभाग को लखनऊ विकास प्राधिकरण को देना होगा। हमने सैन्टीज वापस भी सम्मिलित है इससे अतिरिक्त जिस भूमि पर इन बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा वह भूमि सहकारिता विभाग को निम्नलिखित शर्तों पर मिल्क वृथ बनाने के लिये दी जाएगी :-

- १- जो बिल्डिंग महाकारिता अथवा विकास प्राधिकरण की भूमि पर निर्मित किये जाएंगे उसमें प्रति वर्ग फीट ०।५० फीट प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर से सहकारिता विभाग द्वारा देना होगा।
- २- बिल्डिंग का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारिता विभाग के द्वारा करा जाएगा।
- ३- इन सभी को लखनऊ विकास प्राधिकरण। नगर महाकारिता को सहकारिता को देना अथवा अन्य किसी प्रकार से लखनऊ विकास प्राधिकरण को देना नहीं होगा।
- ४- उपरोक्त शर्तों से सहकारिता विभाग अथवा उसकी ओर से अन्य किसी कारण से लखनऊ विकास प्राधिकरण को देना आवश्यक नहीं है। नगरपालिका द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को देना आवश्यक नहीं है।

यहाँ पर मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि प्रायः जब भी विकास प्राधिकरण इस प्रकार के निर्माण कार्य करता है उपरोक्त शर्तों का पालन आवश्यक होता है। दिनांक ३० जनवरी, १९७६ को आपकी अध्यक्षता में हुई बैठक में संभवतः उपर्युक्त इन बिन्दुओं को स्पष्ट न कर सके। यद्यपि आहुत एवं सचिव द्वारा लिया गया निर्णय शिरोधार्य है तथा उन्हें कार्यान्वित करना अवश्य ही लखनऊ विकास प्राधिकरण का दायित्व है तथापि उपरोक्त बिन्दुओं पर भी विचार करना आवश्यक है। इस परिपेक्ष्य में संभवतः आहुत एवं सचिव, साथ ही सदस्य (आवश्यक वस्तुओं) अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना चाहे।

उपर्युक्त महाकारिता दिनांक ४-३-७६ से १७-३-७६ तक अवकाश पा है। अतः दिनांक १८-३-७६ के पश्चात् किसी भी तिथि को आहुत एवं सचिव महाकारिता अपनी सुविधानुसार एक बैठक बुलावे ता कि उपरोक्त शर्तों का पालन के कार्यान्वयन में आगे बढ़े। साथ ही निर्णयों को वास्तव में लिये इतना निर्णय लिया जाये।

आदा, सहायक निदेशक  
१७/३/७६ (आ.सं.)

अद सं-10

लखनऊ विकास प्राधिकरण हेतु आख्या

आदृ 2ग सं० 10

विभाग:- अर्जन विभाग,

विषय:- मौहल्ला गनेशगंज लखनऊ स्थित अहाता माता दीन चौत्र की  
आवासीय योजना को निर्मित करने के सम्बन्ध में ।

लखनऊ नगर महापालिका की विकास समिति ने अपने प्रस्ताव संख्या २७ दिनांक १८-१-१९७३ (प्रतिलिपि संलग्न है) के द्वारा गनेशगंज स्थित अहाता मातादीन जिसमें बी० ५-७-१५-१४ सम्मिलित है की मलिन बस्ती सुधार योजना निर्मित करके प्रकाशित करने का निर्णय लिया था । उक्त निर्णय अनुसार योजना निर्मित करके महापालिका अधिनियम की धारा ३५७ के अन्तर्गत राजकीय गजट एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु भेज दी गयी थी । उक्त योजना का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में तो हो गया परन्तु किसी कारणों के राजकीय गजट में न हो सका ।

इसी बीच महापालिका अधिनियम का अध्याय १४ जिसे अन्तर्गत योजना का प्रकाशन होना था शासन के द्वारा रद्द कर दिया गया तथा विकास प्राधिकरण का गठन हो गया । अतः निम्नानुसूल जब तक इस योजना की स्वीकृति विकास प्राधिकरण न करदे तब तक इसका प्रकाशन करना उचित न होगा अतः उक्त चौत्र को अर्जित करने हेतु योजना का अर्जन प्लान सम्पत्ति सूची, ले-आउट प्लान तथा रचनामिश्र विकास प्राधिकरण के विचाराधी एवं स्वीकृताधी प्रस्तुत है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

*S. M. Singh*  
12/2/66  
नगर अधिन्ता (विकास)

आरक्षण सं० 10/1

REVISED ECONOMICS OF HATA MATA DIN SCHEME.

1. Approximate area of scheme - 1,38,820 sq.ft.
2. Cost of Acq. including preparation of project @ 1.25 per.sft. - 1,73,525.00
3. Development Cost @ 2.71 per sft. - 3,76,202.00

Total 5,49,727.00

Add 10% for supervision charges 54,973.00

Total 6,04,700.00

Area available for plots 81,840 sq.ft.

$$\therefore \text{Rate per sq.ft.} = \frac{6,04,700.00}{81,840} = 7.388.$$

Say Rs. 7.40

हम क्षेत्र में विकसित भूमि का मूल्य लगभग १०/- प्रति वर्ग फुट होगा इस प्रकार  
ये हम मौलिक से लगभग ८,१८,४०० - ६,०४,७०० = २,१३,७००/- की आम होगी

Signature  
०५०१११ #

प्रतिनिधि  
विकास समिति हेतु आख्या

10/2

विभाग- अर्जन विभाग ।

विषय : विकास समिति के प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 9-8-72 के निश्चयानुसार अहाता मातादीन गन्दी बस्ती पुधार योजना की वांछित एकोनाभिन्न सहित आख्या ।

सारांश : विकास समिति ने उपरोक्त क्षेत्र को इन्द्रापुरी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के पक्ष में अपने प्रस्ताव सं० 86 दिनांक 5-5-70 में उल्लिखित शर्तों पर छोड़ने का निश्चय किया था । सोसायटी के सचिव को समिति के निर्णय की प्रवृत्ति देते हुये सहमति माँगी गई थी जिसके उत्तर में सचिव सोसायटी ने अपने पत्र दिनांक 11-7-70 द्वारा उक्त प्रस्ताव में अंकित विस्थापितों के बसाने के प्रस्ताव को छोड़कर शेष सभी शर्तों पर अपनी सहमति भेजी थी ।

इसी बीच महापालिका ने अपने प्रस्ताव सं० 115 दिनांक 24-4-72 द्वारा यह निर्णय लिया कि विकास समिति के पूर्व पारित प्रस्ताव संख्या 86 दिनांक 5-5-70 को निरस्त किया जाय तथा इस क्षेत्र की एक मलिन बस्ती पुधार योजना निर्मित की जाय । इस सम्बन्ध में विकास समिति अपने निर्देश दिनांक 31-5-72 द्वारा यह कहा कि महापालिका के निर्णय होने के पश्चात् इस विषय में विकास समिति को कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है । अधिनियम की धारा 54 के प्राविधानों के अनुसार किसी योजना को निर्मित तथा प्रकाशित करने हेतु विकास समिति का स्पष्ट निर्णय आवश्यक है जिसकी पुष्टि महापालिका के वकील श्री के० के० नारायण पडवोटे ने भी अपनी आख्या दिनांक 14-2-72 में की है । उपरोक्त कानूनी राय पर आधारित विकास समिति के स्पष्ट निर्णय हेतु प्रेषित की गई थी जिस पर समिति ने अपनी बैठक दिनांक 29-4-72 में यह निर्णय लिया कि समिति अपने पूर्व पारित प्रस्ताव सं० 86 दिनांक 5-5-70 पर दृढ़ है, क्योंकि इस योजना का प्रस्तावित क्षेत्र महापालिका के हित में न होगा तथा मलिन बस्ती एवं निपातन योजना बनाने के लिये क्षेत्र बढ़ाना आवश्यक होगा ।

समिति के उक्त निर्णय के अनुसार क्षेत्र का पुनः निरीक्षण किया गया । इस क्षेत्र में लगभग 150 विस्थापित हैं जिनके इसी क्षेत्र में बसाने की व्यवस्था करनी होगी । यह क्षेत्र बड़े बड़े बहुमूल्य भवनों से घिरा है जिनको अर्जित करने में अधिक प्रतिफल धन देने के साथ साथ एक्स्पेक्टेड लेटीगेशन आदि में भी अधिक धन व्यय होगा जो महापालिका के लिये लाभप्रद न होगा, ऐसी स्थिति में योजना का क्षेत्र बढ़ाना उचित नहीं है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर एक आख्या इस अनुशंसा के साथ कि महापालिका के प्रस्ताव संख्या 115 दिनांक 24-4-72 के अनुसार ही अहाता मातादीन गन्दी बस्ती पुधार योजना निर्मित तथा प्रकाशित करना उचित होगा, विकास समिति के समस्त प्रेषित की गई, जिस पर समिति ने प्रस्ताव सं० 5 दिनांक 9-8-72 द्वारा योजना निर्मित तथा प्रकाशित करने पर स्पष्ट निर्णय प्रदान करने से पूर्व इस क्षेत्र की एकोनाभिन्न जावना वाही है ।

समिति के निर्णयानुसार उस क्षेत्र की अनुमानित एकोनाभिवस तैयार कर ली गई है, जो निम्न प्रकार से है :-

|    |                                                      |   |               |
|----|------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1- | क्षेत्र की भूमि तथा भवनों आदि का अनुमानित अंजल मूल्य | : | ₹ 1,51,470/-  |
| 2- | अनुमानित विकास मूल्य                                 | : | ₹ 3,35,500/-  |
| 3- | भवनों का अनुमानित निर्माण मूल्य                      | : | ₹ 3,47,500/-  |
|    | योग                                                  | : | ₹ 18,34,470/- |

उपरोक्त एकोनाभिवस के अनुसार इस क्षेत्र को विकसित करने तथा वहाँ से विस्थापितों को पुनर्वासित करने हेतु भवनों के निर्माण हेतु ₹ 18,34,470/- आँका गया है जो इस योजना पर व्यय करना होगा। इस योजना को कार्यान्वित कराने हेतु शासन से बस्ती सुधार एवं पुनर्वास हेतु ऋण लेना पड़ेगा। ऐसी योजनाओं में विस्थापितों को आधे किराये पर भवन दिये जाते हैं और केवल नगर महापालिका की आय होगी।

योजना से अनुमानित आय :

|    |                                                       |   |            |
|----|-------------------------------------------------------|---|------------|
| 1- | भवनों की कुल संख्या                                   | : | 150        |
| 2- | प्रति भवन का मासिक पूर्ण किराया                       | : | ₹ 90/-     |
| 3- | विस्थापितों से 50% छूट देकर प्रति भवन का मासिक किराया | : | ₹ 45/-     |
| 4- | उपरोक्त भवनों के किराये से वार्षिक आय                 | : | ₹ 81,000/- |

बस्ती सुधार योजना (सम क्लियरेंस) के अन्तर्गत 37.5% सब्सिडी तथा 62.5% ऋण मिलेगा, ₹ 18,34,470/5 का 62.5% ₹ 11,46,484/- तथा उस पर ब्याज 30 वर्षों में चुगतान करना पड़ेगा। इस प्रकार वार्षिक किराये की वृत्तली के आधार पर 30 वर्ष में ऋण का चुगतान हो जायगा।

विभागीय अनुशंसा :

विकास समिति के प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 9-8-72 द्वारा वाँछित एकोनाभिवस सहित अहाता मातादीन गन्धी बस्ती सुधार (सम क्लियरेंस) एवं पुनर्वास योजना को निर्मित तथा प्रकाशित करने का विषय समिति के समक्ष स्पष्ट निर्णय हेतु प्रेषित है।

ह०/- आर० खान,  
नगर अभियन्ता (विकास)  
13-12-72

( 3 )

महापालिका अधिनियम की धारा : 351 तथा 356

मुख्य नगर अधिकारी :  
 ~~~~~

उपरोक्त आख्या से यदि मान्य हो तो विकास समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान करें ।

ह0/- आर0 शर्मा,  
 नगर अभियंता (विकास)  
 13-12-72

मुख्य नगर अधिकारी के आदेश :  
 ~~~~~

उपरोक्त आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाय ।

ह0/- संतोष कुमार चौधरी,  
 मुख्य नगर अधिकारी ।

सत्यापित

ह0/- महेश प्रसाद,  
 प्रधान लिपिक (अर्जत)  
 3-1-77

दीक्षित/-

बशीरगंज सामान्य तथा गृह आवास योजना के अन्तर्गत राधा रानी भाग के विस्थापितों की समस्या पर विचार ।

१- श्रीमती राधा रानी भाग

इस भाग में लगभग साढ़े चार बीघा भूमि सम्मिलित है। वर्ष १९६२-६३ में सम्पूर्ण अर्जन कागजाती पूर्ण हो चुकी है तथा विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी द्वारा समस्त अर्जित सम्पत्तियों के खाते घोषित किए जा चुके हैं लगभग सैद्ध बीघा सुली भूमि का अधिकार प्राप्त हो चुका है । शेष लगभग ३ बीघा अर्जित भूमि का कब्जा अभी प्राप्त नहीं हुआ है यह ३ बीघे भूमि निम्नलिखित कारखानों तथा विस्थापितों द्वारा अधिकृत/भूमि प्राप्त नहीं हुआ है

कारखानों के नाम

कारखानों द्वारा अधिकृत भूमि

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| १- अमलमिटेड इंजीनियरिंग वर्करी         | ६८५५ वर्ग फीट |
| २- एशियाटिक सर्जिकल एन्ड मेटैलवर्करी   | ६६२४ " "      |
| ३- स्टेट इन्जीनियरिंग वर्करी           | ३४१६ " "      |
| ४- एकोरेट इंजीनियरिंग वर्करी           | ८६२ " "       |
| ५- न्यू काश्मीरी औरिन्टियल ट्रांसपोर्ट | ४५८८ " "      |
| ६- विस्थापित परिवारों की संख्या        | - २७          |
| १- अमलमिटेड इंजीनियरिंग वर्करी         |               |

श्री विलासती राम गुप्ता प्रोप्राइटर उक्त कारखाने की नगर महापालिका की कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव संख्या ७५८ दिनांक ७-१-१९६३ के द्वारा इन्डस्ट्रियल एरिया में २२,७०० वर्ग फीट भूमि रूपमा ८००/- प्रति बीघा की दर से उपरोक्त कारखाना को वर्तमान स्थल से हटाकर दूसरे स्थान पर लाने हेतु देने का निर्णय लिया था। विभाग की मार्ग पर श्री गुप्ता ने प्रीमियम आदि का धन रूपमा ६,८८२-५० पैसे वर्ष १९६३-६४ में जमा कर दिया था, परन्तु उन्होंने प्राथना की कि उनको कारखाना स्थापित करने हेतु २५,००० वर्ग फीट भूमि का आवश्यकता है। महापालिका की कार्यकारिणी समिति ने एक अन्य प्रस्ताव संख्या २५७ दिनांक १७-७-६४ के द्वारा पुनः यह निर्णय लिया कि इन्हें ३६,००० वर्गफीट भूमि सलाट करदी जाये । इस १४,००० वर्गफीट ( अतिरिक्त भूमि) का प्रीमियम आदि का धन रु० ४३८१-५० पैसे का चेक विभाग द्वारा मांग किये बिना ही श्री गुप्ता ने दिनांक २६-१२-६४ को विभाग को भेज दिया जो विभाग द्वारा कैश नहीं कराया गया।

समश:-

11/2

२- रशिया टिक सजिबल एवं मेटल बकरी

श्री शशि भूषण रस्तोगी प्रोजेक्टर उपरोक्त कारखाना को भी इन्डस्ट्रियल योजना में भूखण्ड संख्या ३ क्षेत्रफल २०,६०० वर्ग फीट आवंटित की गयी है। प्रार्थी ने प्रीमियम आदि का धन रु० ८०० प्रति बीघा की दर से जमा कर दिया है तथा उनकी आवंटित भूखण्ड का अधिभार भी दिया जा चुका है। केवल रजिस्ट्री करना शेष है। कार्य-कारिणी समिति ने प्रार्थी की मांग पर अपने प्रस्ताव संख्या २५७ दिनांक २७-७-६४ द्वारा इनको भी ४६,००० वर्ग फीट भूमि के आवंटन का निर्णय लिया है जिसका पैसा श्री शशि भूषण के विभाग में नहीं जमा किया। उपरोक्त

उपरोक्त क्रम संख्या ३, ४ तथा ५ पर अंशित कारखानों का भूमि आवंटन के लिये कोई कार्यवाही महापालिका काल में अब तक नहीं की गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री विलायती राम गुप्ता को जो भूमि पान्दे के तालाब पर आवंटित की गयी थी वह बाद में विज्ञापित मास्टर प्लान के अनुसार विहायकी घोषित की जा चुकी है। इस प्रकार अब उक्त कारखानों की आवंटित भूमि पर कारखाने/निर्माण नहीं किये जा सकते हैं।

उपरोक्त परिस्थिति में श्री वी.एल.सील एडवोकेट से दिनांक ३२-१-७७ को राय प्राप्त की गयी है जो कि साथ में संलग्न है श्री सील ने अपनी राय में कहा है कि उपरोक्त आवंटन की कार्यवाही तथा उक्त कारखानों के विषय में कार्य-कारिणी समिति के द्वारा लिया गया निर्णय नियमानुसूल नहीं है क्योंकि भूमि का आवंटन बाजार भाव से बहुत कम पर किया गया है तथा कारखाने योजना के विज्ञापन के बाद स्थापित हुए। जैसे एगसन द्वारा निरस्त करने की अनुमति की जावे तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण अब इस विषय पर स्वयं निर्णय लेकर उपरोक्त कारखानों के सम्बन्ध में जैसा उपरोक्त समझौते नीति निर्धारित करे। इसके अतिरिक्त २७ परिवार फील्ड ही डाल कर रहे हैं जिन्हें वैकल्पिक व्यवस्था देने का निर्णय महापालिका की कार्य-कारिणी समिति ले चुकी है तथा आफर लेटर भी भेज जा चुके हैं परन्तु किसी भी विस्थापित ने उसे स्वीकार नहीं किया है अतः अब उनकी भी हटाने के विषय में निर्णय लेना है कि यदि उन्हें हटाना है तो उन्हें वैकल्पिक स्थान दिया जाना है अथवा नहीं यदि दिया जावे तो प्रति परिवार को कितना और किस दर पर।

इस योजना में इसी प्रकार की बलरामपुर भाग तथा टूस्ट भाग में विस्थापितों की समस्याएं हैं अतः यह अनुमति की जाती है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा

१३१

11/2

इन साक्ष्यों पर विस्तृत रूप से विचार करने के लिए एक उप समिति  
गठित की जावे जो कि अपनी अनुसंधान प्रवर्धिका की अगली बैठक में  
प्रस्तुत करे।

50504/1051  
१२/१२/६६  
नगर अभियन्ता (विकास)

LEGAL OPINION IN THE MATTER OF AMALGAMATED ENGINEER,  
ALSHBAGH, LUCKNOW.

11/3

F A C T S.

From File No. 7-V-476 marked No: 1 in regd by me.

By his letter dated 31.5.1963 an area of 22,000 Sq.ft. in industrial scheme without specifying the plot was offered by Up N.A. (I), Sri M.K. Chakbast, Nagar mahapalika vikas Vibhag to Sri Vilayat Ram (as) Proprietor, Amalgamated Engineers specifying certain conditions and leaving other conditions of lease to be specified and decided upon later on. The most important of the conditions was the rate of premium and rent and the demand and of Rs. 6,882.50 P. on calculations on the basis of those rates, to be deposited within a month.

Sri Vilayat Ram in his letter dated 22.6.63 did not accept the offer, but thanking for the offer desired some information and intimated that the extent of land offered was not sufficient. In his letter dated 6.7.63 he made his above position clear that information sought having not been supplied "the allotment of land is still in the rate of correspondence" Sri Vilayat Ram also continued to press for allotment of more land along with that already offered, and also for the plan of the layout vide his letter dated 29.6.63 & 22.7.63. He made it still more clear that he had not accepted the offer by stating in his letter dated 26.7.63 that he was sending cheque for Rs. 2,000/- and would remit the balance "after receipt of your plan and acceptance of the land offered to me".

At this stage it was possible to withdraw the offer dated 31.5.63 because of its non-acceptance in toto, but this position was waived by letter of Up N.A. (I), Sri B.O. Pal in his letter dated 6.12.63 by still demanding the

P.T.O.

"balance amounting to Rs. 4882.50 P within a week", of the receipt of this letter so that possession may be delivered".

By letter dated 13.12.63 of Amalgamated Engineers while acknowledging receipt of letter dated 6.12.63, they requested to pend registration of the allotted land till the question of allotment of a further area of 20,000 sq.ft. was settled, when the fact was that there was no question of registration as long as the balance of Rs. 4,882.50 P demanded in letter dated 6.12.63 was not paid up by them. Finally however with his letter dated 5.2.64 Sr. Velayti Ram sent a cheque for Rs. 4,882.50 p. in full settlement of land allotted i.e. 22,000 sq.ft., thus apparently accepting the offer, but also pressing for allotment of extra land. That the acceptance of the allotted 22,000 sq.ft. was not unconditional (in spite of the letter of Amalgamated Engineers dated 19.2.64 in which they complain that although entire amount <sup>had</sup> been paid they had heard nothing about handing over of possession and about "Sale Deed"). It is proved from the office note dated 25.8.64 (signature illegible) to N.A. (V) saying that the allottee wanted to take possession of the 36,000 sq.ft. <sup>instead of 22,000 sq.ft.</sup> implying thereby that he refused to take possession of 22,000 sq.ft. of land unless he was given possession of 36,000 sq.ft. of land.

In their letter dated 18.12.64 M/s Amalgamated Engineers banked on the resolution of E.C. No.297 dated 17.7.64 in which it was resolved that (instead of only 22,000 sq.ft.) an area of 36,000 sq.ft. be allotted to them on old conditions specified therein and complained why written offer as resolved therein was not sent to them and also requested the handing over of possession

(of 36,000 sq.ft.).

11/5-64

Hence it may also be noted that the note of N.A. (V) considered in the making of the E.C. dated 17.7.64 says that Amalgamated Engineers built their factory in 1959 long after the notification of Bashiratganj Scheme, and therefore they may not be allotted any more land (They had already been allotted several times the land to be vested by them).

Finally with their letter dated 26.12.64 M/S Amalgamated Engineer while awaiting a demand as envisaged in the said resolution of the E. Committee forwarded a cheque for 4381.50 on their own, on the basis of their own calculations, ( without specifying the basis. It seems to me that they got information for some one about the demand of exactly the same amount mentioned in the draft of a letter of demand intended to be sent to them but which was never actually sent.

Opinion.

In my opinion the following important points emerge from the above facts:-

1. The Amalgamated Engineers having erected their factory about 1959 long after the notification of the Bashiratganj Scheme, had no right to be treated as de-housees.
2. That the offer of alternative land to enable them to shift their factory to the Industrial Area, was out of Humanitarian considerations and of also, I suppose, national consideration of encouraging and fostering small scale industry.
3. It was therefore incumbent upon the E.C. and other authorities of Nagar Mahapalika to comply strictly with the requirements of S.129 of the U.P. Nagar Mahapalika, Adh'nyam 1959 (as it was before the amendment of 1972) to

to the effect that all transfers of N.Mahapalika lands by way of sale or lease or otherwise have to be on "current market value" thereof. This the V.C. failed to state in their first Resolution No. 752 dated 7.1.63 and specifically contravened in their 2nd Resolution No. 257 dated 17.7.1964. In this view of the matter the offer of Sr. M.K. Chakbast dated 31.5.63 which apparently was below current value and its reiteration or confirmation or re-assertion by Sri B.C. Pal under his letter dated 6.12.63 were also in contravention of the provisions of S. 129 aforesaid and were illegal.

4. When the 1st Resolution of the E.C. was silent on the point of valuation on market rates, it was the duty of Sr. M.K. Chakbast to demand market rates then prevailing which he obviously did not. Sr. B.C. Pal who wrote his letter dated 6.12.63 (before the 2nd Resolution of E.C. dated 17.7.64) also committed the same illegality. The E.C. while passing its 2nd Resolution dated 17.7.64 also committed the same illegality when they resolved that the allotment be made on old terms and conditions ("Puran Shart on Par"), which includes the terms and conditions of premium and rent.

5. There is yet another illegality which seems to have been committed in this matter. There is nothing on the file to indicate that either before the first resolution of the E.C. or before the 2nd Resolution of the E.C. there was any proposal of the Mukhya Nagar Adhikari to lease out the 22,000 sq.ft. or the 36,000 sq.ft. land in the Industrial Scheme area to Amalgamated Engineers. According to the latest decision of a Bench of the Hon'ble High Court in the set of writ cases in which Sri Garg of Delhi argued before the H.C. the initiative must come from the Mukhya Nagar Adhikari who also has the jurisdiction of transferring

11/7

Nagar Mahapalika Property for the purposes of the statute and that the E.C. or the Nagar Mahapalika in their respective precunary jurisdiction can only grant or refuse the approval as provided in S.129 aforesaid. In this view of the matter no right accrued to M/S. Amalgamated Engineers on the basis of the said resolutions or on the basis of letters sent by the subordinate officers like U.N. Adhikari's in furtherance of illegal resolutions passed without jurisdiction. I could not find even a post facto approval of terms and conditions by the M.N.A. in the two files.

6. That then again it seems to me that in spite of the apparent acceptance of the offer made by Sri M.K. Chakbast ( Sri B.C. Pal) by deposit of the entire sum demanded, the deposit was in reality not without reservation as is shown by their subsequent conduct of not accepting delivery of possession (unless 36,000 sq.ft.) of land was given instead of only 22,000 sq.ft. of land mentioned in the offer of Sri M.K. Chakbast) Having thus refused to abide by the said offer and acceptance the firm can not now turn back and demand fulfilment of the initial offer again.

7. Finally there is the question of limitation. No suit for specific performance of a contract can be filed after 3 years of the last cause of action. More than 3 years have elapsed. I could not find anything in the file to indicate that any fresh promise of abiding by the alleged contract of lease was made by the Mukhya Nagar Adhikari within 3 years either to the firm Amalgamated Engineers or to Govt. or any other authority.

8. I would therefore suggest that :-

- (i) L.D.A. should maintain its possession over the entire land.
- (2) As Nagar Mahapalika has ceased to have anything to do with the Development schemes in question.

L.D.A. may move the Govt. to surpa'd the resolutions  
dated 7.1.63 and 17.7.64 of the E.C. on the grounds of  
illegalities mentioned above so that it may be on  
former ground.

(3) L.D.A. may however take such further legal decisions on  
equitable principles for encouraging M/S Amalgamated Engineers  
in carrying on their small scale industry in National  
Economic interest as it thinks advisable.

Sd. B.L.Kul.  
Advocate.  
31.1.77

*Handwritten signature*  
*22/2/66*

जुलै-72

विषय - परिवार नियोजन कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिया जाता ।

विषय वस्तु :-

शासनादेश संख्या सी-3-1705/10-3(एफ0पी0)/76 दिनांक 2-7-76 के द्वारा राष्ट्रीय परिवार नियोजन का कार्यक्रम लागू किया गया था । उक्त शासनादेश के अनुसार विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर भी परिवार नियोजन के आदेश प्रभावी थे । कर्मचारियों को परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ शासन द्वारा शासकीय आदेश संख्या एफ0पी0 2903/1-1-76 के अन्तर्गत दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये थे । विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को भी वित्तीय वर्ष 1976-77 में परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने के लिये प्रोत्साहन स्वरूप रु0 50/- प्रति केसे बाहरी व्यक्तियों को मोटीवेट करने अथवा स्वयं की नसबन्दी कराने हेतु नगद दिये जाने के आदेश उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त शासनादेश के अन्तर्गत 30-1-76 द्वारा प्रदान कर दिया था, तदनुसार कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप रु0 50/- (प्रति केसे बाहरी अथवा विभागीय) नगर महापालिका की मॉति भुगतान किया जा रहा है ।

अतः इस हेतु रु0 20,000/- तक की व्यय की औपचारिक स्वीकृति की जाय ।

अनुशंसा :-

राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन स्वरूप रु0 50/- प्राधिकरण के कर्मचारियों को बाहरी व्यक्तियों को मोटीवेट करने अथवा स्वयं की नसबन्दी कराने हेतु जो भुगतान किया जा रहा है उसकी तथा रु0 20,000/- तक व्यय किये जाने की औपचारिक स्वीकृति विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने की अनुशंसा की जाती है ।

ह0/- डी0 एन0 साह,  
उप सचिव

सचिव/उपाध्यक्ष महोदय के आदेश :-

सचनक विकास प्राधिकरण की बैठक में औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाय ।

ह0/- आर0 एन0 त्रिवेदी  
सचिव

ह0/- उपाध्यक्ष,  
सचनक विकास प्राधिकरण ।

विषय : आवास विकास परिषद के ताल कटोरा आवास योजना में अध्याप्त औद्योगिक क्षेत्र से आवासीय क्षेत्र के लिये भू-उपयोग परिवर्तन के विषय में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा संशोधित प्लान की स्वीकृति एवं हस्ताक्षर करने हेतु ।

714 (सं-13)

- 0 - 0 -

उपरोक्त विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-7-76 मद संख्या-13 में रखा गया था जिस पर यह निर्णय लिया गया था कि इस विषय को अगली बैठक में रखा जाय ।

आवास विकास परिषद की ताल कटोरा योजना में जो ताल कटोरा सड़क एवं मोहान रोड के मध्य स्थित है, आवास विकास परिषद के आग्रह पर उपरोक्त परिवर्तन को विधिवत् कार्यवाही निर्माण कार्य विनियम अधिनियम 1958 में दिये गये निर्देश संख्या '10-स' " महायोजना का संशोधन " में बताये गये नियमानुसार किया गया है । नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा गठित उप समिति द्वारा सुनी गई आपत्तियों एवं सुझाव तथा उस पर लिये गये निर्णयों के आभार पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने महायोजना के उक्त खण्ड से संबंधित क्षेत्र का परिवर्तन प्लान प्रस्तावित किया है ।

महायोजना में किये गये परिवर्तनों को सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्लान की स्वीकृति एवं उस पर सदस्यों के हस्ताक्षर अभीष्ट है । अतः मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा प्रस्तावित प्लान जिसके कुछ क्षेत्र औद्योगिक से बदल कर आवासीय किया गया है एवं ट्रक बस अड्डे के स्थान में परिवर्तन सुझाया गया है । प्लान अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है ।

ह0/- के0 पी0 सिंह  
वरिष्ठ नगर नियोजक 28/1  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ ।

ह0/- प्रे0 ना0 वाजपेयी  
सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ ।

प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।

ह0/- आर0 आर0 शाह,  
उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ ।

8-2-77

ज० सं०-14

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय : करामत हुसेन बालिका विद्यालय के सीमा के अन्दर फेजाबाद रोड तथा महानगर योजना के प्रथम लिंक रोड पर स्थित भूमि, जो महायोजना के अनुसार कम्युनिटी फेसिलिटी हेतु निश्चित है, को ब्यापारिक उपयोग के लिये परिवर्तित करने हेतु ।

करामत हुसेन बालिका विद्यालय जो फेजाबाद रोड पर महानगर योजना में स्थित है, ने आज्ञा किया है कि स्कूल के कुछ क्षेत्र में जो महानगर योजना के प्रथम लिंक रोड पर स्थित है, को कम्युनिटी फेसिलिटी (स्कूल, कालेज) से ब्यापारिक उपयोग के लिये परिवर्तित कर दिया जाय ।

उक्त क्षेत्र महानगर गोल मार्केट से निशातगंज के ब्यापारिक क्षेत्र (सब डिस्ट्रिक्ट-सेक्टर) के क्षेत्र को मिलाता है तथा पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में द्रुतगति से ब्यापारिक विकास हो रहा है । अतः यह अनुशंसा की जा रही है कि इस क्षेत्र के उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति कर ली जाय ।

उपरोक्त क्षेत्र फेजाबाद की तरफ जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग तथा महानगर लिंक रोड पर स्थित होने के कारण यदि परिवर्तन स्वीकृत किया गया तो करामत हुसेन बालिका विद्यालय उक्त क्षेत्र का विकास कर सकता है और इस प्रकार जैसा कि करामत हुसेन बालिका विद्यालय के प्रेसीडेन्ट ने लिखा है कि आर्थिक लाभ संस्था को होना और साथ ही साथ जो अनियोजित विकास उस स्थान पर हुआ है उसे भी नियोजित किया जा सकेगा ।

करामत हुसेन बालिका विद्यालय अपने प्रस्तावित प्लान में प्रथम तथा उपरी मंजिल में अपने अध्यापकों हेतु आवासीय निर्माण करने की स्वीकृति चाहती है । अतः संस्था आवास समस्या को भी सुलझाने का प्रयत्न कर रही है ।

ह०/- डे० पी० सिंह, 3/2  
वरिष्ठ नगर नियोजक,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ

ह०/- आर० एन० त्रिवेदी  
सचिव,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ ।

प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।

ह०/- राम चन्द्र टकर  
उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

14/2

विषय : तखनऊ मास्टर प्लान के अनुसार सड़क की चौड़ाई से प्रस्तावित होने वाले अनधिकृत निर्माण को अनुबन्ध के पश्चात् शमन किये जाने पर विचार ।

-0-0-0-

तखनऊ मास्टर प्लान को प्रस्तावित करते समय मुख्यतः निम्न सड़को को चौड़ा किये जाने का प्रस्ताव किया गया था :-

1- नेशनल हाइ-वे : (1) तखनऊ-कानपुर रोड  
(2) तखनऊ बाराबंकी रोड (फैजाबाद रोड),  
(3) सीतापुर रोड ।

2- प्राविन्सियल रोड : हरदोई रोड ।

3- अन्य सड़के: 1- कैट रोड 6- सुभाष मार्ग,  
2- महात्मा गांधी मार्ग 7- अकबरी गेट से आतमनगर को जाने वाली सड़क  
3- तुलसीदास मार्ग 8- मन्सूर नगर रोड,  
4- ऐशनाग रोड, जिसमें गुरुद्वारा रोड भी सम्मिलित है । 9- कुर्सी रोड ।  
5- बुन-सुन जी रोड, 10- जगत नारायण रोड ।

उपरोक्त सड़के शहर की मुख्य सड़के होने के कारण महायोजना में इन्हे मुख्य सड़के प्रस्तावित किया गया है और यह अनुशंसा की गई है कि इन सड़को की चौड़ाई यातायात की सुविधा एवं आवश्यकता के आधार पर प्रायः 250 फुट, 150 फुट तथा 100 फुट कर दिया जाये ।

आज इन सड़को के साथ उपलब्ध भूमि इतनी नहीं है कि इन सड़को को प्रस्तावित चौड़ाई का बना दिया जाय, साथ ही साथ विकास पर पूर्ण कंट्रोल न होने के कारण महायोजना से पहले के विकास होने के कारण इन सड़को की चौड़ाई इतनी उपलब्ध नहीं हो पा रही है जितनी महायोजना में प्रस्तावित है । जहाँ तक महायोजना के प्रस्ताव का प्रश्न है निश्चय ही इन सड़को को उक्त चौड़ाई का बनाना अभीष्ट होगा लेकिन प्राधिकरण एवं नगर महा पालिका के पास उपलब्ध साधनों के आधार पर यह अनुशंसा की जा सकती है कि इन सड़को को प्रस्तावित चौड़ाई के लिये भूमि उपलब्ध कराये एवं विकास करने में काफी समय तगनेकी सम्भावना है । उक्त स्थिति में इन सड़को पर पिछले कुछ वर्षों में हुये विकास को कम्पाउण्ड करने हेतु एवं उन्हे निबधित कर रोकने हेतु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इन सड़को की चौड़ाई इस प्रकार निर्धारित की जाय जो आज उपलब्ध हो एवं जिसका रखरखाव विकास की कोई एक इकाई द्वारा चल रहा हो । यहाँ यह बात भी बताना उचित प्रतीत होता है कि भूतकाल में इन सड़को पर स्थित कई भवनों को कन्ट्रोलिंग अथारिटी मुख्य नगर अधिकारी/प्रशासक तथा ट्रिब्युनल ने शमन शुक प्राप्त कर तथा नोटरी एफीडेविट प्राप्त कर सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई के अन्दर भी हुये विकासों को रेगुलराइज़ किया है । उदाहरण स्वरूप श्री यू० सी० आहूजा, विधान सभा मार्ग (तखनऊ कानपुर नेशनल हाइ-वे) तथा श्रीमती माया निगम,

जगत नारायण रोड इत्यादि हैं । उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुये यह अनुशंसा करनी है कि आज की वर्तमान भवन-रेखा को आधार माना जाय एवं हर एक विकास जो उस रेखा के अन्दर हो यद्यपि प्रस्तावित रोड की चौड़ाई में भी हो तो भी उसे शमन शुल्क लेकर एवं यह अनुबन्ध कर कि जब भी उक्त स्थान की आवश्यकता सड़क की चौड़ाई के लिये चाहिये बिना किसी मुआवजे तथा हर्जे-स्वर्चे के प्राधिकरण/जो भी संस्था उक्त रोड को चौड़ा करना चाहे तोड़ सकती है । ऐसा प्राविधान कर देने से उक्त सड़को पर जिनकी चौड़ाई आज के यातायात के लिये उपयुक्त है वर्तमान रूप में रखा जा सकता है एवं आवश्यकता पड़ने पर इन सड़को की चौड़ाई बिना किसी विशेष मुआवजा के बढ़ाया जा सकता है । जो व्यक्ति या संस्था इस प्रकार की लिखित नोटरी एफीडेविट देने को तैयार हो उन्हे शमन शुल्क प्राप्त कर आज की स्थिति पर रेगुलराइज़ किया जा सकेगा और जो अनधिकृत विकास उक्त सड़को पर है उन्हे विधिवत् नोट कर सड़क के आधार पर रजिस्टर में नोट रखा जा सकेगा । लेकिन इस नियम को उक्त विकासों पर लागू न किया जायेगा जो भविष्य में एक नियोजित स्वरूप में प्रस्तावित किये जायेंगे ।

अतः यह अनुशंसा की जा रही है कि विकास कार्य को न रोकते हुये महायोजना में प्रस्तावित मुख्य सड़को पर हुये विकास को शमन-शुल्क लेकर रेगुलराइज़ किया जा सके एवं उक्त व्यक्तियों से नोटरी एफीडेविट प्राप्त कर लिया जाय कि जब भी उक्त सड़क की चौड़ाई महायोजना में प्रस्तावित चौड़ाई का किया जाय उस समय वे किसी प्रकार के मुआवजे के हकदार न होंगे एवं स्वयं बिना किसी हर्जे स्वर्चे के तोड़ डालेंगे अथवा प्राधिकरण/जो भी अथारिटी या संस्था सड़क को चौड़ा करना चाहे तोड़ सकता है । ऐसी स्थिति में जो विकास शमन-शुल्क प्राप्त कर रेगुलराइज़ किया गया था उसकी कोई कानूनी अधिकार (Legal Standing) न रहेगा ।

ह०/- एन० ए० फरीदी  
नगर अभियन्ता (भवन)

ह०/- दे० पी० सिंह,  
वरिष्ठ नगर नियोजक  
16/2

ह०/- आर० एन० त्रिवेदी,  
सचिव  
17/2

प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

ह०/-  
उपाध्यक्ष

अद सं-16

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय : यू० पी० स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन द्वारा प्रस्तावित सरोजनी नगर औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्तावित संशोधित ले-आउट प्लान की स्वीकृति के लिये पुनर्विचारार्थ एवं औपचारिक निदेश सम्बन्धी ।

सारांश : यू० पी० स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन का एक ले-आउट प्लान नियंत्रक प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-3-73 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था । इस ले-आउट प्लान पर जो निर्णय हुआ उस पर कार्यवाही की जा रही थी कि उसके पूर्व ही इन्होंने एक संशोधित ले-आउट प्लान

दाखिल कर दिया । इस ले-आउट प्लान एवं मूल ले-आउट प्लान में प्लॉटों की संख्या 16 अधिक हो गई है, जो नीचे दी जा रही है तथा प्लॉट की नापों में भी परिवर्तन हो गया है ।

मूल ले-आउट प्लान

संशोधित ले-आउट प्लान

1-सी टाइप प्लॉट संख्या 20

सी-टाइप प्लॉट संख्या 20

2-ए-टाइप 5

ए-टाइप 5

3-बी-टाइप 7

डी-टाइप 23

4- डी-टाइप 23

ई- टाइप 12

कुल 55

कुल 71

मूल ले-आउट प्लान के प्रतिबन्ध के आधार पर डायरेक्टर आफ सिविल एविएशन से आपत्ति रहित पत्र प्राप्त हो चुका है । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की राय दिनांक 18-1-77 संलग्न है ।

अतः विकास प्राधिकरण के विचारार्थ एवं आदेशार्थ उपरोक्त संशोधित ले-आउट प्लान प्रस्तुत है । इस संशोधित ले-आउट प्लान की स्वीकृति के पश्चात् एग्रीमेन्ट आदि की कार्यवाही विभाग द्वारा की जायगी ।

ह०/- एन० ए० फरीदी  
(एन० ए० फरीदी)  
नगर अभियन्ता (भवन)  
15-2-77

ह०/- के० पी० सिंह,  
( के० पी० सिंह )  
वरिष्ठ नगर नियोजक,

ह०/-आर० एन० त्रिवेदी  
( आर० एन० त्रिवेदी )  
सचिव  
17/2

विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

ह०/-  
उपाध्यक्ष

पृष्ठ सं. - 17

तखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आस्था

विषय : तखनऊ मास्टरप्लान में विधान सभा मार्ग एवं स्टेशन रोड के भू-उपयोग को कार्यालय एवं व्यापारिक उपयोग के लिये परिवर्तन पर विचार ।

तखनऊ मास्टरप्लान को प्रस्तावित करते समय यह अनुशांसा की गई थी कि तखनऊ शहर में जो कार्यालय के लिये स्थान की आवश्यकता होगी <sup>उनकी</sup> आवश्यकता अशोक मार्ग पर स्थित कार्यालय-भवन के क्षेत्र एवं विभिन्न व्यापारिक क्षेत्र के पुनः विकास एवं विस्तार से उपपत्ता हो सकेगी । पिछले कुछ वर्षों में कार्यालय भवनों का कुछ विकास अवश्य हुआ है लेकिन जो भूमि प्रस्तावित थी, आवश्यकता उससे कई गुनी ज्यादा बढ़ी है साथ ही विभिन्न अर्धसरकारी एवं व्यापारिक संगठनों ने अपने उपयोग के लिये नये कार्यालय भवनों की इच्छा व्यक्त की और यह देखने में आया है कि विधानसभा मार्ग एवं स्टेशन रोड (रायल होटल से गाजीउद्दीन हैदर कैनाल तक) पर विकास करने के कई प्रस्ताव आये ।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये इस पूरे क्षेत्र का एक सर्वेक्षण मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक महोदय की अनुशांसा पर प्राधिकरण के समुच्च किया जा रहा है जिससे उपर्युक्त क्षेत्र में स्थित सारे भवन एवं उनका <sup>उपयोग</sup> उपयोग ~~किया~~ है, दिखाया गया है ।

उपरोक्त प्लान को आधार रखते हुये यह अनुशांसा ~~करने~~ ~~करनी~~ करनी है कि यदि इस क्षेत्र का भू-उपयोग जो आज मुख्य रूप से आवासीय है, बदलकर कार्यालय एवं कुछ सड़कों में व्यापारिक उपयोग के लिये कर दिया जाय तो तखनऊ शहर की तुरन्त की आवश्यकता कुछ हद तक अवश्य पूरी हो जायगी । यहाँ यह भी प्रस्तुत करना है कि यह सड़क शहर की मुख्य मार्ग होने के कारण इसकी चौड़ाई 150 फुट जैसा कि महायोजना में प्रस्तावित है, रखा जाय एवं केवल एक प्रापर्टी की महाराई तक ही का भू-उपयोग परिवर्तित किया जाय जिससे प्रस्तावित क्षेत्र के प्लानों को जाँचने एवं स्वीकृत करने में कोई वैधानिक अड़चन न उत्पन्न हो । प्लान तथा विकास की उपरेवा विकास प्राधिकरण के समुच्च प्रस्तुत है ।

ह०/- एन०ए०फरीदी  
नगर अभियंता (भवन)  
15-2-77

ह०/- के०पी० सिंह  
वरिष्ठ नगर नियोजक  
15-2

ह०/- आर० एन०त्रिवेदी  
सचिव  
तखनऊ विकास प्राधिकरण,  
तखनऊ । 17/2

विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

ह०/-  
उपाध्यक्ष ।

विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ आख्या

हस मव सं०-१८

विकास प्राधिकरण की पिछली बैठक दिनांक १५-१०-७६ के मव संख्या ६ में यह सूचित किया गया था कि मध्यम आय वर्ग के १०० मवनों का निर्माण राज्य सरकार से प्राप्त ₹२५-०० लाख ऋण से किया जा रहा है। ऐसे १७२ मवनों का बनाया जाना की स्वीकृति हकूमत द्वारा दे दी गयी है। उनके शीघ्र ही ऋण प्राप्त हो जायगा। अब इसमें केवल बैंक गारन्टी प्राप्त करना है। अतः उक्त विकास प्राधिकरण के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

ह०। वी० एन० लाल  
अधिसूची अभियन्ता (आवास)

उपरोक्त विषय विकास प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

ह०। आर० एन० त्रिवेदी  
सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक, जो दिनांक 19-2-77 को अपराह्न 3-30 बजे विकास प्राधिकरण कार्यालय स्थित 6-नगदीशचन्द्र बोस मार्ग पर हुई, का कार्यवृत्त

- 0 - 0 -

उपस्थित :

-----

- |    |                          |   |                                                                                              |
|----|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- | श्री वीरेन्द्र देव व्यास | - | आयुक्त, लखनऊ मण्डल, एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।                                |
| 2- | श्री राम चन्द्र टंडन     | - | जिलाधिकारी, लखनऊ एवं उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।                                 |
| 3- | श्री एम० वी० एस० हैंसी   | - | विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।                                           |
| 4- | श्री राजीव रत्न शाह      | - | उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, लखनऊ ।                                                         |
| 5- | श्री जयन्ती प्रसाद दुबे  | - | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।                                        |
| 6- | श्री एस० एच० जहीर        | - | अधिष्ठासी अभियन्ता, जल निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं वैयक्तिक सहायक-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता । |

अन्य उपस्थित :

-----

- |    |                           |   |                                                 |
|----|---------------------------|---|-------------------------------------------------|
| 1- | श्री रमेश नारायण त्रिवेदी | - | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।              |
| 2- | श्री० के० पी० सिंह        | - | वरिष्ठ नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ । |
| 3- | श्री एस० पी० गुप्ता       | - | मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।    |
| 4- | श्री के० बी० सक्सेना      | - | मुख्य लेखाधिकारी ।                              |

मद सं०-1 :

विकास प्राधिकरण की बैठक में सर्व प्रथम दिनांक 15-10-76 की बैठक का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया । उपाध्यक्ष ने बताया कि विकास प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय अधिष्ठाता के पदों के संबंध में विभिन्न अधिकारियों से संबंधित पदों के बारे में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था । परन्तु यह बात विकास प्राधिकरण के कार्यवृत्त में लिखने से रह गई है जिसके लिये अतः कार्यवृत्त के पृष्ठ 8 की 12 वीं लाइन के पश्चात् यह लिम्बांकित अंकित किया जाना आवश्यक है :-

"तदनुसार पाश्चात् लिपिकीय पदों को स्वीकृत किया गया"

लिपिकीय पद

-----

|                   | प्रथम श्रेणी | द्वितीय श्रेणी |
|-------------------|--------------|----------------|
| उपाध्यक्ष         | 1            | -              |
| सचिव              | 1            | 2              |
| अतिरिक्त सचिव     | -            | 1              |
| वरिष्ठ नगर नियोजक | -            | 1              |

श्री हैंसी ने इन पदों का मितान पिछली बैठक के एजेंडा बोट में दिये गये पदों की प्रस्तावना से किया और इन्हे सही पाया । अतः सर्वसम्मति से उपरोक्त संशोधन के साथ गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

सद सं 2 : उक्त बैठक के कार्यवाही के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष द्वारा प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि वाक क्षेत्र के स्टेडियम के निर्माण के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो गई है जिस पर शीघ्र ही कार्यवाही की जायगी। वेतना सोसायटी को अलीगंज योजना में भूमि देने विषयक शासन से वांछित सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है, इस हेतु अनुस्मारक भेजा गया है। शेखापुर कसैला में भूमि अर्जन हेतु कलेक्टर लखनऊ के कार्यालय में कार्यवाही वांछित है। अध्यक्ष महोदय ने जिलाधिकारी को खान इस ओर आकृष्ट किया और शीघ्र कार्यवाही के निदेश दिये। उपाध्यक्ष ने विकास प्राधिकरण को अवगत कराया कि पिछली बैठक में विकास प्राधिकरण द्वारा अनगारन्टीड डिवेन्स फ्लोट किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी जिसमें रु० 2.06 करोड़ के डिवेन्स फ्लोट किये जा चुके हैं जो कि 9.5 प्रतिशत ब्याज की दर से लिया गया है। श्री टैसी, विशेष सचिव, वित्त विभाग ने जानकारी चाही कि क्या इसकी स्वीकृति रिजर्व बैंक से प्राप्त कर ली गई थी। इस पर श्री राजीव रत्न शाह, उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ने उन्हें अवगत कराया कि अनगारन्टीड डिवेन्स को फ्लोट किये जाने के लिये रिजर्व बैंक के स्वीकृत की आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष ने बताया कि विकास प्राधिकरण को शासन द्वारा 2.5 करोड़ का सीड कैपिटल भी दिया गया है जिसके फलस्वरूप विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई है। उपाध्यक्ष, द्वारा विकास प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि पिछली बैठक में विकास प्राधिकरण द्वारा सृजित तीन अभियानिक खण्डों के विरुद्ध वर्तमान आवश्यकतानुसार सहायक अभियन्ता स्तर तक दों खण्डों के पदों को पूर्ति कर ली गई है तथा नियोजन विभाग में सहायक नगर नियोजक-2, असिस्टेंट आर्किटेक्ट-2, ड्राफ्टमैन (ग्रेड प्रथम) तथा ड्राफ्टमैन (ग्रेड द्वितीय), क्लर्क-कम-टाइपिस्ट-4, ट्रेसर-3, नीलमुद्रक तथा नोटिस सर्वर-1 की नियुक्ति हेतु चयन कर लिया गया है।

सिटी एक्सप्रेस हाइवे पर कलर स्कीम का कार्य प्रगति पर है। आधुनिक व्यावसायिक केन्द्र का कार्य पुराने डाकखाने में काफी प्रगति पर है। उपाध्यक्ष ने विकास प्राधिकरण को अवगत कराया कि सेन्ट्रल बैंक ने लोन (ऋण) देने के लिये जो दोहरी शर्त गारन्टी तथा इक्विटीबिल मार्गेंज की लगाह गई थी उसमें इक्विटीबिल मार्गेंज की शर्त वापस ले ली है। अल्प आय वर्ग के 480 भवन, जो कर्बला मतका जहा तथा पाण्डे के तालाब में बनने प्रस्तावित है, उनका समाचारपत्रों के माध्यम से विज्ञापन दे दिया गया है तथा 100 से अधिक लोगों ने धन जमा कर दिया है। राज्य सरकार के लिये 100 मध्यम आय वर्गीय भवनों का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है जिसे शीघ्र पूरा कर दिया जायगा। राज्य सरकार ने 100 उच्च आय वर्गीय भवन विशागीय रूप से बनाने तय किये हैं। अतएव विकास प्राधिकरण ने जब साधारण के लिये उच्च आय वर्गीय भवनों के निर्माण की योजना बना ली है। इस पर श्री टैसी विशेष सचिव वित्त विभाग ने जानकारी चाही कि किस कारण से राज्य सरकार ने 100 उच्च आय वर्गीय भवन विकास प्राधिकरण को बनाने से मना कर दिया है। उपाध्यक्ष ने उन्हें अवगत कराया कि यह कार्य वे सार्वजनिक निर्माण विभाग से बनवाने का फैसला किया है और उन्होंने ताल कटोरा रोड योजना में भूमि क्रय कर लिया है। चूंकि राज्य सरकार 100 मध्यम आय वर्गीय भवन बनाने का कार्य विकास प्राधिकरण को दे रखा है अतएव कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि की सम्भावना नहीं की जा सकती।

सद सं 3: लखनऊ विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 1976-77 का संशोधित व्यय अनुमान प्रस्तुत करते हुये अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मूल बजट प्रस्तुत करते हुये मूलपूर्व अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में काफी प्रकाश डाला था। अतएव ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत

होती क्योंकि विकास प्राधिकरण ने जो ध्येय प्रारम्भ से अपना रखा है उसके अनुपालन की चेष्टा सदैव होती रहेगी। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मूल बजट वर्ष 1976-77 इस प्रकार बनाया गया था कि पूरे वर्ष आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा परन्तु मूल बजट देर से पारित होने के कारण बजट के आय-व्यय के अनुमान में संशोधन करना पड़ रहा है। सचिव, विकास प्राधिकरण के संशोधनों के कारण पर व्यापक प्रकाश डाला है जो संशोधित बजट के साथ ही प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष महोदय ने हर्ष प्रकट करते हुये कहा कि यह बड़ी संतोषजनक बात है कि विकास प्राधिकरण ने 2.00 करोड़ रुपये के ऋण मॉगपत्र दिनांक 22-12-76 को फ्लोट किये थे जो एक घण्टे में ही ओवर सब्साइड हो गये तथा शासन ने भी वित्तीय सुदृढ़ता को बनाये रखने के लिये आधारित पूँजी ऋण 20 2.50 करोड़ स्वीकृत कर दिया। इस प्रकार योजनाओं के संचालन में विकास प्राधिकरण को काली बत मिला है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संशोधित बजट का मूल बजट से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व लेखे में आय अवश्य ही कम हुई है परन्तु पूँजीगत कार्यों में पूँजीलेखे की आय व्यय में वृद्धि हो रही है। मूल बजट में भूमि की विक्री, भवनो का पूर्ण विक्रय एवं हायर परवेज की विक्री एवं दुकानों के अधिशुल्क इत्यादि की मदों में 40 4.60 करोड़ की आय अनुमानित की गई थी जिसको पुनरीक्षित बजट 1976-77 में लगभग 30 3-20 करोड़ रखा गया है, जिसका कारण यह है कि काजपुर रोड योजना (55 लाख) जिन्हे भूमि अर्जन के शासकीय आदेश देर से प्राप्त हुये, कार्यान्वित नहीं हो सकी। 100 डच्च आय वर्गीय भवनों का निर्माण हेतु शासन से पहले आर्डर प्राप्त हुआ बाद में उन्होंने इसे पी० डब्ल्यू० डी० से बनाने का निश्चय किया अतः 40 लाख रुपया न मिल सका, दुकानों के प्रीमियम से (15 लाख) रुपया न मिल सका, क्योंकि पुराने डाकघाने में निर्माणाधीन बहुखण्डी भवन के कारण चारों ओर की दुकानों का नीलाम किया जाना उचित नहीं समझा गया। अभी अन्य व्यावसायिक केन्द्रों का निर्माण भूमि का कब्जा न मिलने से रुका है। व्यय पक्ष में भी कटौती बजट को संतुलित करने के लिये करनी पड़ी। परन्तु मूल बजट में दर्शित समस्त योजनाओं की धनराशि रखी गयी है। श्री टेंसी विशेष सचिव वित्त विभाग ने उपरोक्त कारणों पर विशेष जानकारी चाही और कहा कि उच्च आय वर्गीय भवनों के निर्माण हेतु शासन से 40 लाख न मिलने का क्या कारण है। उपाध्यक्ष ने उन्हें अवगत करते हुये कहा कि शासन ने यह कार्य अपने विभागीय रूप से बनवाने का निश्चय किया है। श्री टेंसी ने पुनः जानकारी की आकांक्षा करते हुये कहा कि पुराने डाकघाने की दुकानों के आर्टन में वित्तम्ब का क्या कारण है? सचिव, विकास प्राधिकरण ने उन्हें अवगत कराया कि उक्त स्थल पर आधुनिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण हो रहा है वहाँ पर मैटेरियल इकट्ठा है जिसके कारण साइट स्वच्छ नहीं है, जिसके कारण यदि दुकानों का प्रीमियम नीलाम किया जाता है तो प्रीमियम बहुत कम आवेगा। श्री टेंसी ने पूँछा कि दुकानों का प्रीमियम फिक्स होगा या सार्वजनिक नीलाम द्वारा किया जायगा। उपाध्यक्ष ने कहा कि उक्त दुकानों का प्रीमियम नीलाम द्वारा लिया जाता है जो इस समय किये जाने पर बहुत कम आवेगा और शॉपिंग कम्प्लेक्स बन जाने पर यह नीलाम की धनराशि बहुत बढ़ जाने की सम्भावना है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस संशोधित बजट में सबसे प्रमुख बात यह है कि ऋण मॉगपत्र तथा शासन द्वारा आधारित पूँजी ऋण के प्राप्त हो जाने के कारण शासन से ऋण लेने का प्राप्तिमान नहीं रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि अब इस वित्तीय वर्ष में समय बहुत कम रह गया है जिसको पूरा ध्यान में रखकर तभी यह संशोधित व्ययानुमान बनाया गया है। श्री राजीव रत्न शाह, उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ने कहा कि विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष जुलाई 1, से प्रारम्भ करके 30 जुन तक होना चाहिये। श्री टेंसी ने कहा कि इसका मतलब क्या आप पञ्चमी वर्ष के अनुसार रचना चाहते हैं। श्री जयन्ती प्रसाद हुये

ने कहा कि यह केवल विकास प्राधिकरण में कर देने से ठीक हो सकता है ? क्योंकि बैंको आदि के नियम भी देखने पड़ेंगे । श्री जहीर, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ने कहा कि राज्य सरकार से अनुदान वर्तमान वित्तीय वर्ष के अनुसार दिया जाता है । इस पर श्री शाह ने कहा कि इसीलिये यह जरूरी है क्योंकि अनुदान मिलने पर कार्य आरम्भ किया जाता है । श्री टेंसी ने कहा कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है व इस पर हर दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है । तत्पश्चात् ही इसे विकास प्राधिकरण के समक्ष अलग से रखा जाना चाहिये । तत्पश्चात् विस्तृत विचार विमर्श से यह तय पाया गया कि आय पक्ष में प्रस्तावित कटौती पर्याप्त संतोषजनक कारणों से की गई है । चूंकि व्यय पक्ष में कटौती करके बजट संतुलित रखा गया है । अतः यथा प्रस्तावना संशोधित बजट पारित किया जाये ।

सद सं० 4 : सचिव विकास प्राधिकरण ने बताया कि अनगारन्टीड डिबेन्चर्स फ्लोट किये जाने का निश्चय जब विकास प्राधिकरण ने लिया था तथा यह भी तय किया था कि प्रास्पेक्टस का अनुमोदन विकास प्राधिकरण से कराकर ही डिबेन्चर्स फ्लोट किये जायें । उन्होंने फिर बताया कि चूंकि बैंकिंग वर्ष का अन्त नजदीक था और विदेशक संस्थागत वित्त से बात करने पर ऐसी सम्भावना व्यक्त की गयी थी कि उक्त डिबेन्चर्स यदि दिसम्बर 1976 तक फ्लोट नहीं कर दिये जाते तो रिजर्व बैंक द्वारा तार्किक जा रही क्रेडिट खींचने के कारण सम्भवतः डिबेन्चर्स सफलतापूर्वक बाद में फ्लोट न किये जा सके । अतएव विकास प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में हाउसिंग बोर्ड तथा अन्य विभागों द्वारा फ्लोट किये गये डिबेन्चर्स के प्रास्पेक्टस के तगभंग अनुरूप प्रास्पेक्टस जारी कर दिया गया । उपाध्यक्ष ने विकास प्राधिकरण को अवगत कराया कि यह डिबेन्चर्स उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद (हाउसिंग बोर्ड) में 10.5 प्रतिशत व्याज की दर पर फ्लोट किये गये हैं जब कि विकास प्राधिकरण द्वारा 9.5 प्रतिशत की दर पर ही जारी किये गये हैं जो स्थिति विकास प्राधिकरण के हित में है । श्री टेंसी ने कहा कि अनगारन्टीड डिबेन्चर्स से धन एकत्र कर लेना वाकई में सराहनीय है । तत्पश्चात् विचार विमर्श के बाद उक्त प्रास्पेक्टस औपचारिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया ।

सद सं० 5 : उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण ने शृणों के प्रतिदान के संबंध में प्रकाश डालते हुये कहा कि विकास प्राधिकरण की पिछली बैठक में यह तय किया गया था कि तगभंग 79 लाख रुपये का जो डिफाल्टेड शृण विकास प्राधिकरण को देय है उसको 10 वर्षों की समान किस्तों में शासन को वापस कर दिया जाय । उन्होंने यह बताया कि यह उत्तरेखणीय है कि विकास प्राधिकरण के समक्ष यह प्रस्तावना बजट हेतु गठित उप-समिति द्वारा की गई थी इसमें शासन के विभिन्न विभाग के विशेष सचिव सम्मिलित थे । इस प्रस्तावना को विकास प्राधिकरण ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था और तदनुसार इस बैठक में रखी गई संशोधित बजट में 7.9 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान डिफाल्टेड शृणों की अदायगी की पहली किस्त के लिये कर दिया गया है । विकास प्राधिकरण द्वारा इन्हीं शर्तों पर शृणों की रि-शेड्यूलिंग के बारे में शासन से पहले से ही पत्राचार चल रहा था । शासन ने राजाशा संख्या प्र०ओ० 200/37-4-76 दिनांक 23-8-1976 द्वारा यह पुष्टाव दिया है कि " रि-शेड्यूलिंग करने पर वर्तमान शृण नये शृण माने जायेंगे । इस पर विकास प्राधिकरण को इस समय प्रचलित दर से व्याज देना होगा । " उपरोक्त शासकीय पत्र द्वारा यह पुष्टाव किया गया था कि क्या यह शर्त विकास प्राधिकरण को मान्य है ? यदि हाँ, तो इस संबंध में विकास प्राधिकरण से एक प्रस्ताव प्राप्त कराकर उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि भी शासन को भेज दी जाय । सचिव विकास प्राधिकरण ने कहा कि इन शर्तों को मानना विकास प्राधिकरण के हित में नहीं है क्योंकि इस प्रकार रि-शेड्यूलिंगका सारा उद्देश्य समाप्त हो जायेगा और विकास प्राधिकरण

की कुल लाईविलिटी पहले की अपेक्षा बढ़ जायेगी । उन्हीने इस बात पर विकास प्राधिकरण प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित कराया कि यह वह धरणाएँ हैं जो प्राधिकरण के गठन के काफी पूर्व ही डिफ़ाल्ट हो चुकी हैं और यह विकास प्राधिकरण का ताराहतीय कदम कहा जाना चाहिये कि वह इस धरणाओं को भी वापस भुगतान करने की कोश रहा है । उपाध्यक्ष ने कहा कि शृणों के प्रतिदाव के संबंध में इस प्रकार पत्राचार चलता ही रहेगा और ला इविलिटी बढ़ती ही रहेगी । विकास प्राधिकरण अपनी पूर्व निर्धारित नीतियों के अनुसार शासन को 10 वर्ष में डिफ़ाल्ट धरणाओं का भुगतान प्रारम्भ कर दें और शासन को इसकी सूचना भी भेजे दें । ऐसा विकास प्राधिकरण ने विनियम किया है तो देय धरणाएँ हर वर्ष कम होती रहे और शासन को इस बारे में स्वीकार करने पर जोर डाला जाय कि विकास प्राधिकरण की इस ताराहतीय प्रयास को प्रोत्साहन दें तथा भुगतान की इन शर्तों को स्वीकार कर लें । श्री टेंसी, विशेष सचिव वित्त विभाग ने कहा कि यह प्रस्ताव ठीक है और यदि शासन को यह स्वीकृति धरणाओं का भुगतान किया जा रहा है अतः उन्हें इसके कोई आपर्णित नहीं है । अतः अन्त में अध्यक्ष महोदय ने विकास प्राधिकरण की पूर्व निर्धारित नीति के अनुसार अनुचित शृणों के शासन को भुगतान किये जाने के आदेश दिये । सर्वसम्मति से इस संबंध में विकास प्राधिकरण को शासन को इस संबंध में पत्र भेजे जाने के लिये कहा गया ।

सद सं० 6 : विकास प्राधिकरण योजनाओं में उपलब्ध विभिन्न योजनाओं के भूखण्डों के हस्तान्तरण शुल्क निर्धारित करने के संबंध में उपाध्यक्ष ने विकास प्राधिकरण को अवगत कराया कि पट्टे की शर्तों के अनुसार जिन भूखण्डों के तीन होल्ड अधिकार को हस्तान्तरण करने के लिये प्राधिकरण की पूर्व अनुमति उपबंधित है उनके लिये भूतपूर्व नगर महापालिका, लखनऊ की कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव संख्या 160 दिनांक 24-10-70 के अनुसार 5 प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क जमा कराकर आवंटनी के तीन होल्ड अधिकारों को हस्तान्तरण की अनुमति दी जाती थी । किन्तु यह देखा गया कि आवंटित भूखण्डों को प्रायः लोग व्यक्तिगत नाम हेतु अधिक दामों पर बेच देते थे । उदाहरण के तौर पर लोगो को पहले जो भूखण्ड सं० 1-25 प्रतिवर्गफुट पर आवंटित है बाद में वे इसे 8, 7, 6 रुपये प्रतिवर्ग फुट की दर से बेच कर काफी मुनाफा लेते हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुये कार्यकारिणी द्वारा पारित संकल्प सं० 267 दिनांक 8-10-74 द्वारा हस्तान्तरण शुल्क बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया तथा तदनुसार 1-10-76 के बाद से प्राप्त प्रकरणों पर 30 प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क जमा कराकर भूखण्ड के तीन होल्ड अधिकार हस्तान्तरण करने की अनुमति दी जाती है । श्री टेंसी, विशेष सचिव वित्त विभाग ने कहा कि लेकिन जिन लोगो ने भूखण्ड नीलामी द्वारा क्रय किये हैं उन्हें पहले ही अधिक धरणाएँ चुकानी पड़ी है अतः उनको अनुमति दे दी जानी चाहिये । क्या इस संबंध में कोई नियम है ? कितने समय के बाद उनको अनुमति दी जानी चाहिये । उप सचिव, स्थायित्व शासन विभाग ने कहा कि जिन लोगो को आवंटन द्वारा भूखण्ड आवंटित किये गये हैं उनको ज्यादा लाभ होता है परन्तु जिन लोगो को नीलामी द्वारा भूखण्ड आवंटित हुये हैं उनको लाभ कम होता है । परन्तु परन्तु प्रतिशत के हिसाब से विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण शुल्क अधिक भुगतान करना पड़ेगा । श्री टेंसी, विशेष सचिव वित्त विभाग ने कहा कि जिन लोगो को भूखण्ड आवंटन पध्दति से प्राप्त हुये हैं उनको हस्तान्तरण शुल्क 40 प्रतिशत की दर से तथा जिन लोगो को कार्यकारी नीलामी की पध्दति से भूखण्ड मिले हैं उनको 15 प्रतिशत की

दर से हस्तांतरण शुल्क लेकर ग्लूब्ड के तीज होल्ड अधिकार हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती चाहे।

विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह तय पाया गया कि आर्बिट्रल ग्लूब्ड के तीज होल्ड अधिकार का हस्तांतरण करने हेतु 40 प्रतिशत तथा वीनाम द्वारा दिये ग्लूब्ड के तीज होल्ड अधिकार 15 प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क लेकर तीज होल्ड अधिकार हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाय।

मद सं० 7 :

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-7-76 की मद सं० 4 में कास्ट एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की गई है। पद विधिवत् विज्ञापित किया गया और उसमें साक्षात्कार के लिये 11 व्यक्त बुलाये गये थे जिसमें 5 व्यक्ति साक्षात्कार हेतु दिनांक 9-11-76 को उपस्थित हुए। चयन समिति जिसमें 1-उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण श्री आर० आर० शाह, 2-श्री के० पी० डिंगरन, मैनेजिंग डायरेक्टर जन निगम के प्रतिनिधि, 3-श्री लालजी श्रीवास्तव, आयुक्त एवं सचिव वित्त विभाग के प्रतिनिधि, 4-श्री आर० एन० त्रिवेदी, सचिव, विकास प्राधिकरण उपस्थित थे, ने अभ्यर्थियों की अर्हताएँ एवं अनुभव पर भलीभाँति विचार करके तथा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करके श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना का सर्वसम्मति से चयन किया। इन्होंने दिनांक 29-12-76 को पूर्वाह्न कार्यक्रम ग्रहण कर लिया है। इस नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति विकास प्राधिकरण द्वारा की जाती है। अध्यक्ष, महोदय ने कहा कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर्वसम्मति से इस नियुक्ति की पुष्टि की गई।

मद सं० 8(क)(ख)

विकास प्राधिकरण में सामान्य प्रचारण एवं कास्ट एकाउन्टेन्ट अनुभाग के लिपिकीय पद के सृजन के संबंध में विकास प्राधिकरण की पिछली बैठक के निर्णय के अनुसार इसबार लिया जाता था। उपाध्यक्ष ने कहा कि हालाँकि यह विषय विकास प्राधिकरण के विचारार्थ रखा जा रहा है किन्तु अच्छा होता कि इस ओर अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया जाय और अन्य पदों का सृजन किया जाय। अतः अध्यक्ष महोदय इस विषय को अगली बैठक तक स्थगित रखने की अनुमति दें और कहा कि सचिव, विकास प्राधिकरण इस संबंध में पूर्ण आख्या अन्य विभागों के प्रबन्ध की आख्या बनाकर प्रस्तुत करेंगे।

मद सं० 8(ग)

सबसे अधिक विकास प्राधिकरण के लिये विधि अधिकारी के पद के सृजन के संबंध में उपाध्यक्ष द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त पद विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3-3-76 के मद सं० 2 के द्वारा सृजित किया गया था किन्तु उक्त पद की अर्हताएँ एवं वेतनक्रम इत्यादि के लिये निर्णय भविष्य के लिये छोड़ दिया गया था। विकास प्राधिकरण में एक वा-अफिसर का होना जरूरी है जिसका वेतनक्रम रु० 800 से 1450 का हो, क्योंकि इससे कम में कोई अच्छा विधि अधिकारी मिलना मुश्किल है। श्री देसी, विशेष सचिव वित्त विभाग ने कहा कि विकास प्राधिकरण अपना काडर सुदृढ विस्तार करने के लिये विज्ञापन करके वकीलों में से अनुभवी व योग्य अभ्यर्थी का चयन करें। उपाध्यक्ष ने कहा कि यह बात व्यावहारिक नहीं है क्योंकि एक तो अच्छा वकील इस नये स्केल पर मिलना मुश्किल होगा और यदि मिल भी गया तो कुछ दिन बाद वह इस वेतनमान पर रहने को तैयार नहीं होगा। साथ ही डेप्युटी प्र अले वाता प्रासकीय अधिकारी ज्यादा जिम्मेदार भी होगा व इतने समय समय पर दूसरे नये डेप्युटी प्र अले अधिकारी से बदला जा सकेगा। अतः कोई अधिकारी जो डिप्युटी एन० आर० रैंक का हो, लिया जाय। अध्यक्ष महोदय ने

जानकारी चाही कि वर्तमान पध्दति से कठिनाई क्या है । सचिव, विकास प्राधिकरण ने जानकारी देते हुये कहा कि प्राधिकरण के अन्तर्गत नज़ूल, ट्रस्ट व मिलिंग वाइ-नाउ सम्बन्धी महत्वपूर्ण विधिक मामले सहित अनेक विवादग्रस्त मामले निस्तारित होते हैं, जिस पर समय समय पर विधिक राय लेना आवश्यक हो जाती है, जिसमें वकील फीस चार्ज करते हैं । अध्यक्ष ने कहा कि इस सम्बन्ध में एक इन्स्टीट्यूट तायर की आवश्यकता होगी । उप सचिव स्वायत्त शासन श्री शाह ने भी कहा कि डेप्युटेशन पर अधिकारी लिया जाना उचित होगा । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस पद की पूर्ति शासन से ऑन डेप्युटेशन लेकर ही की जायगी । जिस पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई । ला-आफिसर के सृजित पद का वेतनक्रम 800-1450 रखने में भी सर्वसम्मति से सहमति प्रकट की गई ।

मद सं० 8(घ)

सचिव विकास प्राधिकरण व उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के सचिव के पदों का सुजन के संबंध में सचिव विकास प्राधिकरण ने अवगत कराया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के आशुतिपिकों के ग्रेड के संबंध में कानपुर विकास प्राधिकरण तथा बनारस विकास प्राधिकरण से सूचना एकत्र करने का निर्देश गत बैठक में दिया गया था । सचिव विकास प्राधिकरण ने बताया कि दोनों विकास प्राधिकरणों से सूचना एकत्र कर ली गई है जिसमें दोनों विकास प्राधिकरणों के आशुतिपिक का वेतनक्रम 240-424 बताया गया । लेकिन उनके अनुसार कानपुर में एक सचिव का पद 320-620 के वेतनक्रम में सृजित किया गया है जो स्थानीय विभागों के सचिवों के लिये वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत है । नगर महापालिका, लखनऊ में प्रशासक के सचिव के वेतनक्रम भी यही है । उन्होंने यह भी कहा कि विकास प्राधिकरण के सचिव का कार्य भी उप-प्रशासक से कम महत्वपूर्ण नहीं है । अतः सचिव के सचिव का पद 320-620 के वेतनक्रम में होना चाहिये । इस प्रकार विकास प्राधिकरण में दो पद सचिव के 320-620 के वेतनक्रम में सृजित किये जाय । जो उपाध्यक्ष व सचिव विकास प्राधिकरण से सम्बन्ध हों । श्री टेंसी ने कहा कि यदि कोई अच्छा कार्य करने वाला है तो उसको दूसरे तरीके से पे ( ) किया जा सकता है क्या उसको ग्रेड देना जरूरी है उसको आनरेरियम तथा कन्वेयान्स एलाउन्स भी दिया जा सकता है । उप सचिव, स्वायत्त शासन श्री आर० आर० शाह ने कहा कि उसको आनरेरियम पहले ही दिया जा चुका है । श्री टेंसी ने कहा कि उसको कन्वेयान्स एलाउन्स के रूप में दिया जा सकता है । श्री जहीर, अधिशासी अभियन्ता ने कहा कि कन्वेयान्स एलाउन्स फ्रिस एमाउन्ट होता है जो केवल नामिनल होता है । उप सचिव ने कहा कि इनको उक्त ग्रेड देना उचित होगा । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वह एडवाक तरीके से नियुक्ति के पक्ष में नहीं है । वैयक्तिक सहायक के पद के लिये सभी स्टेजों के बीच नियमानुसार चयन होता है । श्री टेंसी ने कहा कि यही होना ही चाहिये । श्री टेंसी ने इस बात पर भी ध्यान आकर्षित कराया कि पिछली बैठक में जो वेतनमान प्रस्तावित किया गया था इस बार उसके अधिक प्रस्तावित किया गया है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वैयक्तिक सहायक के पद पर एक व्यक्ति विशेष की नियुक्ति नहीं की जा सकती इसके लिये चयन उचित प्रतीत होता है । उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ पर सवाल पद के सुजन का है न कि विशेष व्यक्ति की नियुक्ति के लिये । उप सचिव, स्वायत्त शासन श्री आर० आर० शाह ने कहा कि मैंने उपाध्यक्ष के रूप में श्री मोहम्मद अमीन मसउद से बहुत अधिक काम लिया है और वे परिश्रमी और लगनशाली साबित हुये हैं । अतः वे अर्हताये पूरी न कर पाये तो इसका कारण यह है कि उनके कार्यकाल में श्री मसउद को अन्य कार्य के लिये समय ही नहीं मिल सका । उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से यह संस्क्रुति की कि ऐसे परिश्रमी कर्मचारी को प्रात्साहन मिलना ही चाहिये । श्री टेंसी, विशेष सचिव वित्त ने कहा कि इस संबंध में थोड़ी छानबीन करके ही वे बता सकते हैं कि क्या किया जा सकता है । अध्यक्ष, विकास

प्राधिकरण से कहा कि चूंकि इस विषय पर अंतरिम रूप से कोई निर्णय नहीं हो सकता, अतएव सचिव, विकास प्राधिकरण, वित्त सचिव के प्रतिनिधि की सहायता से यह आख्या फिर प्रस्तुत करें कि भूतपूर्व उपाध्यक्ष की संस्तुति को दृष्टिकोण में रखते हुये इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है ? आख्या के आने पर ही इस प्रकार पर अन्तिम रूप से निर्णय लिया जा सकेगा ।

मद सं० 8(5)

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण ने बैठक में बताया कि हाल ही में विकास प्राधिकरण सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता शारदीय वेतनक्रम और निर्धारित महंगाईभत्ते पर पद सुजित किया है तथा इन पर नियुक्ति भी कर ली गई है । इस प्रकार स्थिति यह आ गई है कि एक ही काम करने वाले लोगों को दो विभिन्न वेतनक्रम विकास प्राधिकरण में हो गये हैं । यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे काम की एफ़ेसियेन्सी पर असर पड़ता है । सचिव, विकास प्राधिकरण ने कहा कि नियोजन विभाग में पदों को नये वेतनक्रम में सुजित किया गया है परन्तु चूंकि पहले से कोई नियोजन विभाग विकास प्राधिकरण में नहीं था अतः वहाँ ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती है । उन्होंने कहा कि दो विभिन्न वेतनक्रम होने से अधिकारियों में हार्ट बर्निंग स्वभाविक है । अतः उन्होंने अनुरोध किया कि शारदीय वेतनक्रम में पहली नियुक्ति की तिथि से केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को भी ऐसा लाभ मिलना चाहिये जिससे कि यह स्थिति समाप्त हो सके । उपाध्यक्ष ने बताया कि केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारी केन्द्रीयित सेवा नियमावली से गवर्न होते हैं अतः विकास प्राधिकरण उनको नया वेतनमान नहीं दे सकता । अतः निर्मांकित तालिका के अनुसार उनको विशेष वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिये ताकि एक ही स्तर के अधिकारियों को एक ही प्रकार का वेतन मिल सके ।

| क्रम सं० | पदनाम             | प्रस्तावित विशेष वेतन प्रतिमाह |
|----------|-------------------|--------------------------------|
| 1-       | मुख्य अभियन्ता    | )                              |
| 2-       | अतिरिक्त सचिव     | )                              |
| 3-       | उप नगर अधिकारी    | )                              |
| 4-       | अधिसायी अभियन्ता  | )                              |
| 5-       | सहायक नगर अधिकारी | )                              |
| 6-       | सहायक अभियन्ता    | )                              |
| 7-       | अवर अभियन्ता      | -                              |

₹ 50/- प्रतिमाह ।

₹ 20/- प्रतिमाह ।

श्री जे० पी० दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने कहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं प्रतीत होती परन्तु विकास प्राधिकरण को इस बात का ध्यान होना चाहिये कि वह केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को अपनी सेवा में लेने का चयन स्वीकार करें और जो लोग चयन में उपयुक्त न पाये जायें उन्हें विकास प्राधिकरण निदेशालय स्थानीय निकाय को वापस भेज सके । श्री टैसी ने कहा कि यह प्रश्न उनकी समझ में नहीं आता कि एक ही शहर में सेक्टर गवर्नमेन्ट, स्टेट गवर्नमेन्ट, बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत संस्थानों आदि के पदों के वेतनक्रम में काफी अन्तर होता है । इस पर उप सचिव स्वायत्त शासन विभाग सी आर० आर० शाह ने कहा कि यहाँ नगर की बात नहीं है । यह एक ही संस्था में दो वेतनक्रम होने की बात

है जिसके प्रति अधिकारियों में असंतोष होना स्वाभाविक ही है। इसका प्रभाव अन्य विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों और महापालिका में पड़ सकता है। ऊपर में मद्र निर्णय अथवा महोदय ने अन्त में यह निर्णय लिया कि किस अधिकारी को क्या दिया जाना चाहिये इस सम्बन्ध में वित्त और स्वायत्त शासन विभागों से जानकारी प्राप्त करके आख्या प्रस्तुत की जाय।

मद सं० 8(छ)

नियोजन विभाग के कतिपय पदों पर चयन के पश्चात् नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चयन समिति की अनुशंसा पर उनके वेतनक्रम में अग्रिम वेतन वृद्धियाँ दिये जाने के संबंध में सचिव, विकास प्राधिकरण ने बताया कि कुछ अच्छे कन्डीडेट जो अन्य जगहों पर कार्यरत थे उनको अग्रिम वेतनवृद्धियाँ देकर नियुक्त किया गया है। श्री जे० पी० दुवे ने इस बैठक में प्रकाश डालते हुये कहा कि अन्य राज्य सरकारों के वेतनमान हमारे यहाँ से अच्छे हैं अतः बिना अग्रिम वेतनवृद्धि दिये इनको नियुक्त करना सम्भव न था। श्री टेंगी ने कहा कि इसमें कोई भी निर्णय लिया नहीं जा सकता। इंडीविजुअल केसेज मेरिट पर रखे जाय करे व विकास प्राधिकरण से उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाया करे। इस पर श्री सतीशचन्द्र चिल्डियाल व श्री जी० बी० सिंह का मामला प्रस्तुत किया गया जिन्हे चयन समिति की अनुशंसा पर 5-5 अग्रिम वेतन वृद्धियाँ दी गई हैं। श्री जे० पी० दुवे ने इसे उचित बताया अतः अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इन दोनों मामलों में अग्रिम वेतन वृद्धि को सर्वसम्मति से औपचारिक स्वीकृति दी गई।

मद सं० 8(छ-1)

नियोजन विभाग में ड्राफ्ट मैन् (ग्रेड प्रथम), ड्राफ्टमैन (ग्रेड द्वितीय) की नियुक्ति करते समय यह पाया गया कि उच्च पोस्ट पर आये हुये अभ्यर्थी निम्न पोस्ट के लिये उपयुक्त हैं किन्तु वे किन्ही विभागों में पहले से ही कार्यरत थे। अतः इनके मूल वेतन को सुरक्षित रखने के लिये निम्न पदों पर अग्रिम वेतन वृद्धियाँ दी जानी आवश्यक है। इस प्रकार के मामले निम्नांकित है :-

(1) श्री सैय्यद मोहम्मद साहिद जिनका चयन आर्ट कम-जानिंग असिस्टेंट जिसका वेतनक्रम रु० 350-700 है, के विरुद्ध ड्राफ्ट मैन् ग्रेड प्रथम जिसका वेतनक्रम रु० 325-675 है के लिये हुआ है, ने अपनी सहमति देते हुये सूचित किया है कि इस समय वह रु० 338-00 मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इनके मूल वेतन को सुरक्षित रखने के लिये रु० 325-10-375-ई०वी०-12-495-ई०वी०-16-~~525~~ के वेतनक्रम में इनको कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो अग्रिम वेतन वृद्धियाँ देनी होंगी। इस प्रकार इनका मूल वेतन प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रु० 345-00 निर्धारित होगा। इसे विकास प्राधिकरण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) श्री राज किशोर भटनागर जिनका चयन ड्राफ्टमैन ग्रेड (प्रथम) के विरुद्ध ड्राफ्टमैन ग्रेड (द्वितीय) जिसका वेतनक्रम रु० 280-3-296-ई०वी०-9-350-ई०वी०-10-400-ई०वी०-12-460 है, के लिये हुआ है, ने अपनी सहमति देते हुये सूचित किया है कि वे इस समय केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय, सिंचाई विभाग में ड्राफ्टमैन के पद पर जिसका वेतनमान रु० 280-8-296-ई०वी०-9-350-ई०वी०-10-400-ई०वी०-12-460 है पर कार्य कर रहे हैं तथा इस वेतनक्रम में इनका मूल वेतन रु० 350/- है इन्हे ड्राफ्टमैन ग्रेड द्वितीय के वेतनक्रम रु० 280-460 में अपने इस मूल वेतन को सुरक्षित करते हुये उसके पश्चात् चार या पाँच अग्रिम वेतन वृद्धि माँगी है। चूंकि श्री भटनागर रु० 280-460 के वेतनक्रम में ही कार्य कर रहे हैं। अतः इनके मूल वेतन रु० 350/- को सुरक्षित रखने की औपचारिक स्वीकृति विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई।

(3) श्री वीरेन्द्र कुमार जिनका चयन ड्राफ्टमैन ग्रेड (प्रथम) के विरुद्ध ड्राफ्टमैन ग्रेड (द्वितीय) के पद के लिये हुआ है ने अपनी सहमति दी है। श्री वीरेन्द्र कुमार इस समय कृषि निदेशालय में मानचित्रकार के पद पर रु० 392/- मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इनके इस मूल वेतन को सुरक्षित करने के लिये ड्राफ्टमैन ग्रेड द्वितीय के वेतनक्रम रु० 280-8-296-ई०बी०-9-350-ई०बी०-10-400-ई०बी०-12-480 में बारह अग्रिम वेतन वृद्धियाँ देनी होंगी। इनका मूल वेतन रु० 400/- पर निर्धारित किया जायगा। इसे औपचारिक स्वीकृति विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई।

मद सं० 8(ग) लखनऊ विकास प्राधिकरण में सहायक लेखाधिकारी का एक पद सृजित करने के संबंध में उपाध्यक्ष ने बैठक को अवगत कराया कि विकास प्राधिकरण बनने से पूर्व यह एक महापालिका का विकास विंग माना जाता था। लेकिन विकास प्राधिकरण बन जाने के पश्चात् कार्य में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है तथा प्रथम बजट वर्ष 1975-76 बना जो बढ़कर बाद में 10 करोड़ से अधिक का हो गया है। अतः कार्य को सुचारु रूप से संचालन हेतु उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण ने न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा बड़े उच्च पदों के सृजन के बजाय एक सहायक लेखाधिकारी का पद वेतनमान रु० 425-900 तथा अनुमन्य भत्तों पर अपने आदेश संख्या 64/मु०वि०/अधि० दिनांक 17-5-75 द्वारा सृजित करके महापालिका के अनुभवी एवं वरिष्ठ लेखाकार श्री जमीतुर-रहमान जो उस समय महापालिका में सहायक लेखाधिकारी पद पर नियुक्त थे की नियुक्ति कर दी। अतः उक्त परिस्थितियों में विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा की गयी कार्यवाही का अनुमोदन करते हुए सहायक लेखाधिकारी का एक पद 425-900 के वेतनक्रम में स्वीकृत्यार्थ प्रस्तुत है। श्री टेंसी ने कहा कि यह विषय विकास प्राधिकरण के समक्ष इतने विलम्ब से क्यों प्रस्तुत किया गया? इस पर बताया गया कि पहले यह नहीं समझा गया था कि यह मामला विकास प्राधिकरण के समक्ष पुष्टि हेतु रखा जाना है साथ ही यह भी देखा था कि श्री जमीतुर-रहमान विकास प्राधिकरण में संतोषजनक रूप से कार्य कर पाते हैं अथवा नहीं व इस पद की विकास प्राधिकरण को तगभार आवश्यकता है अथवा नहीं? चूंकि इनका कार्य संतोषजनक पाया गया है व विकास प्राधिकरण में इस पद की आवश्यकता है क्योंकि लेखा सम्बन्धी कार्य हर बार बढ़ता जा रहा है अतः विकास प्राधिकरण के हित में इस पद के सृजन व नियुक्ति की पुष्टि की जाए। विकास प्राधिकरण के सर्वसम्मति से इसकी औपचारिक स्वीकृति दी गई।

मद सं०- 9

नगर के विभिन्न क्षेत्रों में ए टाइप के 17, तथा बी टाइप के 13 मिल्कबूथों का निर्माण प्रस्तावित था। इसमें क्रमशः 15 तथा 7 मिल्क बूथों का निर्माण कराया जा चुका है एवं उनका कच्चा लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड को दिया जा चुका है। शेष मिल्कबूथों का निर्माण प्रगति पर है। जिन बूथों पर मिल्कबूथों का निर्माण कराया जा रहा है वह नगर महापालिका/विकास प्राधिकरण के हैं। इसका किराया लखनऊ प्रोड्यूसर्स मिल्क यूनियन को देना है। इस कार्यालय के अर्द्धशासकीय पत्र 325/सी०/प्रशासक दिनांक 5 मार्च, 1976 द्वारा आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र०शासन, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास को सूचित किया गया था कि इसमें से जो बूथ महापालिका एवं विकास प्राधिकरण की भूमि पर निर्मित किये जायेंगे उनका 50 पैसा प्रतिवर्गफुट प्रतिमाह की दर से किराया लिया जायेगा। दिनांक 30 जनवरी 1976 को आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास के कार्यालय में तथा दिनांक 10-3-76 को सहाय्य सचिव के कार्यालय में हुई बैठक में विकास प्राधिकरण के अधिकारी को यह सूचित किया गया कि शासन ने मिल्क बूथों के निर्माण के लिये एक रुपया वार्षिक किराये पर भूमि दिये जाने का निर्णय लिया है। सहाय्य सचिव ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो विकास प्राधिकरण

की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय और यदि विकास प्राधिकरण सक्षम नहीं है तो स्वायत्त शासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन को स्वीकृति हेतु भेज दिया जाय । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि विकास प्राधिकरण इस भूमि को उक्त वार्षिक किराये पर दे सकती है क्योंकि यह सार्वजनिक हित का एक काय है । उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ने विकास प्राधिकरण का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया कि उन्होंने इसमें से कई भिन्न वृथों पर पूरे कन्जुमर स्टोर खुले देखे हैं । अतएव इतने कम किराये पर भूमि देना इन कामक्षियता परपत्र के लिये उचित नहीं होगा । उपाध्यक्ष ने कहा कि इसमें इनवाल्ड एमाउन्ट बहुत अधिक नहीं है अतः शासन यदि सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं को विक्री के लिये हमसे कम किराये पर देने को कहता है तो इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं है प्रतिबन्ध यह होना चाहिये कि इनके उपयोग इसी परपत्र के लिये किये जायें । अतः सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि शासन को सूचित कर दिया जाय कि विकास प्राधिकरण को 1/- रुपया वार्षिक किराये पर देने में कोई आपत्ति नहीं है । यदि इन भिन्न वृथों का उपयोग दूध, अण्डा, डबल रोटी, मक्खन बेचने के लिये किया जाता है । किसी अन्य उपयोग के लिये यदि इनका प्रयोग किया जायगा तो विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित 50 पैसा प्रतिवर्गफुट प्रति माह किराया भी देय होगा ।

मद सं० 10 : मोहल्ला गणेशगंज स्थित हाता मातादीन क्षेत्र की आवासीय योजना को निर्मित करने के संबंध में सचिव ने बताया कि यह एक गंदी बस्ती विपातन योजना (स्लम क्लियरन्स) के अन्तर्गत है यहां के विस्थापितों को उचित आवासीय व्यवस्था करने के बाद योजना चालू करने का प्रस्ताव है । यह नगर महापालिका द्वारा बनाई गई थी तथा समाचारपत्रों द्वारा उसका प्रकाशन भी हो गया था परन्तु राजकीय गजट में नहीं हो पाया । अब इस योजना की स्वीकृति जब तक विकास प्राधिकरण न कर दे तब तक प्रकाशन नहीं किया जा सकता है । अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि यह विषय विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

मद सं० 11 : उपाध्यक्ष ने बताया कि वशीरतगंज सामान्य तथा गृह क्लेन आवास योजना के अन्तर्गत राधारानी भाग के विस्थापितों की समस्या पर विचार करना आवश्यक है । उन्होंने बताया कि इस भाग में लगभग 4-5 बीघा भूमि है । वर्ष 1962-63 में सम्पूर्ण अर्जित कार्यवाही पूरी हो चुकी है तथा विशेष भूमि एवं अध्याप्ति अधिकारी द्वारा समस्त अर्जित सम्पत्तियों के एवाड घोषित हो चुके हैं और लगभग 1.5 बीघा अर्जित भूमि खुली भूमि का कब्जा भी प्राप्त हो चुका है । शेष तीन बीघा भूमि का कब्जा अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है । यह तीन बीघा भूमि निम्नलिखित कारखानों के पास है :-

| कारखानों के नाम :                     | कारखानों द्वारा अग्रगृहीत भूमि |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1- अमलममेटेड इंजीनियरिंग वर्क         | 9855 वर्गफुट                   |
| 2- एशियाटिक सर्जिकल एण्ड मेटल वर्क    | 6924 "                         |
| 3- स्टेट इंजीनियरिंग वर्क             | 3416 "                         |
| 4- एगोरेट इंजीनियरिंग वर्क            | 862 "                          |
| 5- न्यू काश्मीरी ओरियन्टल ट्रांसपोर्ट | 4588 "6                        |
| 6- विस्थापिता परिवारों की संख्या      | 27                             |

इस प्रकरण पर प्रकाश डालते हुये उपाध्यक्ष ने बताया कि महापालिका की कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव सं० 758 दिनांक 7-1-63 के द्वारा इण्डस्ट्रियल एरिया में श्री विलायतीराम गुप्ता प्रोप्राइटर, अमलममेटेड इंजीनियरिंग वर्क को 8000/-

उपरोक्त प्रतिबीघा की दर से उपरोक्त कारखाने को वर्तमान स्थल से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने हेतु निर्णय लिया गया। विभाग की मांग पर श्री विनायतीराम गुप्ता ने प्रीमियम की बजराशि 63-64 में जमा कर दी थी। परन्तु उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें कारखाना लगाने के लिये 25,000 वर्गफुट भूमि और दे दी जाय। महापातिका की कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव सं० 257 दिनांक 17-7-64 द्वारा पुनः यह निर्णय लिया गया कि इन्हें 36,000 वर्गफुट भूमि पूर्व शर्तों पर दे दी जाय। इस 14,000 वर्गफुट अतिरिक्त भूमि का प्रीमियम बिना विभाग द्वारा मांग किये ही दिनांक 26-12-64 को भेज दिया। जो ठीक नहीं कराया गया। श्री विनायतीराम गुप्ता को यह भूमि पाण्डेय तालाब क्षेत्र में आवंटित की गई थी। श्री शशिभूषण रस्तोगी, प्रोप्राइटर, एशियाटिक सर्जिकल एवं मेटल वर्क्स को 20,000 वर्गफुट आवंटित की गई थी जिसका उन्होंने 8000/- २० प्रतिबीघा की दर से प्रीमियम जमा कर दिया। उन्होंने उन्हें आवंटित भूखण्ड का अधिकार भी दिया जा चुका है। केवल रजिस्ट्री करना शेष है। कार्यकारिणी समिति ने प्रार्थी की मांग पर अपने प्रस्ताव संख्या 257 दिनांक 27-7-64 द्वारा इनको भी 46,000 वर्गफुट भूमि देने का निर्णय लिया जिसका पता भी श्री शशिभूषण ने विभाग में जमा नहीं किया। अन्य तीन कारखानों का भूमि आवंटन के संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नगर महापातिका या विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं की गई।

उपाध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में ठाबूनी राय प्राप्त हो गई है और उससे निम्नांकित बिन्दु स्पष्ट हुये हैं :-

- 1- महापातिका एवं कार्यकारिणी समिति को कोई भी भूमि रियायती दर पर दिये जाने के अधिकार प्राप्त नहीं है इसके लिये शासन की पूर्वानुमति वांछनीय है, जो नहीं प्राप्त की गई है। 1964 में पाण्डेय तालाब की भूमि का मूल्य अनुमानतः 2/- प्रतिवर्गफुट हो गई है। अतः 8000/- २० प्रतिबीघा की दर से भूमि दिया जाना उचित नहीं होगा।
- \* था आज वह दर 7/- रूप प्रति वर्ग फुट 32-
- 2- पाण्डेय के तालाब का क्षेत्र जिनमें कारखाने के लिये भूमि दी गई है, यह अब मास्टरप्लान में आवासीय क्षेत्र दिखाया गया है अतएव यहाँ कारखाना नहीं बनाया जा सकता।
- 3- चूंकि यह कारखाने योजना के प्रकार के वाद स्थापित हुये हैं अतः इन्हें तृतीयकी रूप से विस्थापितों की श्रेणी नहीं दी जा सकती है और यदि इन्हें कोई भूमि दी जाय तो वह व्यवहारिक मानवीय दृष्टि से ही दी जा सकती है।
- 4- चूंकि यह कारखाने जिस भूमि पर बने हुये हैं वह भूमि आवासीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है तथा विकास प्राधिकरण के लिये बहुमूल्य भी है। अतएव इस प्रकार पर शीघ्र निर्णय लेना विकास प्राधिकरण के हित में अपेक्षित है।

इन समस्त बातों को दृष्टिकोण में रखते हुये उपाध्यक्ष ने पुनरावृत्ति दिया कि पूर्व पारित संकल्पों को विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया जाय और एशियाटिक सर्जिकल एण्ड मेटल वर्क्स को दी गई भूमि की रजिस्ट्री न करके उनसे भूमि का कच्चा वापस लेने का प्रयत्न किया जाय। अतः इन समस्त कारखानों को विकास प्राधिकरण रियायती दर पर भगवान इण्डस्ट्रीज के पास उतनी ही भूमि दे जितनी कि उनके पास है तथा इस संबंध में यदि वे इससे अधिक भूमि चाहते हैं तो शेष भूमि का आवंटन विकास प्राधिकरण द्वारा बाजार की दर पर किया जाय। उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ने इस प्रस्ताव को काफी उचित बताया और कहा कि विकास प्राधिकरण के हित में इस प्रकार पर शीघ्र निर्णय लिया जाना वांछित है ताकि अर्जित भूमि का विक्रय शीघ्र किया जा सके। श्री वे०पी० दुवे, मुख्य नगर एवं ग्राम निरीक्षक ने कहा कि रियायती दर पर जमीन दिया जाना किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस मामले में ठाबूनी पेशीदगी आती है। अतः इस पर कोई अंतिम निर्णय लेने से पूर्व एल० आर०

की राय लेना अच्छा होगा । इस पुराव से सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की अतः यह तय किया गया कि सम्पूर्ण विषय एन० आर० को काबूनी राय के लिये संदर्भित कर दिया जाय । उनकी राय आने पर ही विकास प्राधिकरण इसमें अन्तिम निर्णय लें ।

मद सं० 12 : उपाध्यक्ष ने विकास प्राधिकरण, को अवगत कराया कि विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 1976-77 में परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने के लिये प्रोत्साहन स्वरूप रु० 50/- प्रति देस बाहरी व्यक्तियों को मोटीवेट करने अथवा स्वयं की नसबन्दी कराने हेतु नकद दिये जाने के आदेश उपाध्यक्ष ने शासनादेशानुसार पारित कर दिया था जिसकी विकास प्राधिकरण द्वारा औपचारिक स्वीकृति आवश्यक है । विकास प्राधिकरण के सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की कि यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस संबंध में बृद्धि भुगतान किया जा चुका है । अतएव इसकी औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । तदुपरान्त सर्वसम्मति से इस वर्ष 20,000/- रुपये के व्यय की औपचारिक स्वीकृति यथा प्रस्ताव प्रदान कर दी गई ।

मद सं० 13 : आवास विकास परिषद के ताल कटोरा आवास योजना में अध्याप्ति औद्योगिक क्षेत्र से आवासीय क्षेत्र के लिये भू-उपयोग परिवर्तन के विषय में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा संशोधित प्लान की स्वीकृति एवं ~~हस्ताक्षर~~ हस्ताक्षर करने के विषय में उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि आवास विकास परिषद की ताल कटोरा योजना में जो ताल कटोरा सड़क एवं मोहान रोड के मध्य स्थित है, आवास विकास परिषद के आग्रह पर उपरोक्त परिवर्तन की विधिवत् कार्यवाही निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1959 में दिये गये निर्देश सं० 10-स महायोजना का संशोधन में बताया गये निर्देशानुसार किया गया है । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक श्री जयन्ती प्रसाद दुबे ने बताया कि नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा गठित उप समिति द्वारा सुनी गई आपत्तियों एवं पुराव तथा उस पर लिये गये निर्णयों के आधार पर ही महायोजना के उक्त खण्ड से संबंधित क्षेत्र का परिवर्तन प्लान प्रस्तुत किया गया है । इस प्लान में कुछ क्षेत्र औद्योगिक से बदल कर आवासीय किया गया है एवं एक बस अड्डे के स्थान में परिवर्तन किया गया है । तदुपरान्त विचारविमर्श के पश्चात् प्रस्तावित परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई तथा वरिष्ठ नगर नियोजक श्री के०पी० सिंह द्वारा प्रस्तावित प्लान पर सदस्य तथा अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर अंकित कराये गये ।

मद सं० 14 : करामत हुसेन वालिका विद्यालय के सीमा के अन्दर फेजाबाद रोड तथा महानगर योजना के प्रथम लिंक रोड पर स्थित भूमि, जो महायोजना के अनुसार कम्प्यूनिटी फेसिलिटी हेतु निर्धारित है, को व्यापारिक उपयोग के लिये परिवर्तन करने हेतु विषय के संदर्भ में वरिष्ठ नगर नियोजक ने अवगत कराया कि करामत हुसेन वालिका विद्यालय के फेजाबाद रोड पर महानगर योजना में स्थित है, ने आग्रह किया है कि स्कूल के कुछ क्षेत्र में जो प्रथम लिंक रोड पर स्थित है को व्यापारिक उपयोग में परिवर्तित कर दिया जाय । उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि बंगम एजेंडर रसूल ने इस सम्बन्ध में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने कहा कि यहाँ पर शायद विकास प्राधिकरण/नगर महापालिका द्वारा दुकानों का निर्माण निर्माण किया जा रहा है । उप सचिव, स्वायत्त शासन ने बताया कि वे दुकानों का निर्माण सीवेज परिसर स्टेसन के पास करनी है । इस परिवर्तन हेतु इनसे वेटरनेट चार्ज लिये जा सकते हैं । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बृद्धि इनको व्यवसायिक सुविधा उपलब्ध होगी अतएव इस तरह के चार्ज इनसे लिये जा सकते हैं । श्री देवी ने पूछा कि क्या यहाँ कुछ दुकानें पहले से निर्मित हैं । उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ने अवगत कराया कि यह अवशिष्ट निर्माण है । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने वहाँ मास्टरप्लान में रोड-विड्थ छोड़ी गई है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राजस्थान

में कवचसर्तन चार्जेज क्या लिये जाते हैं । विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि ३० 1,500/- प्रतिवर्ष वेटरमेन्ट चार्जेज निर्धारित करके नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन कर दिया जाय । साथ ही मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने कहा कि मास्टर-प्लान रोड को छोड़कर ही निर्माण कराया जाय व रोड व मार्केट के बीच ग्रिल लगाई जाय जो करामत कालेज को ही लगानी होगी ।

मद सं० 15:

लखनऊ मास्टरप्लान के अनुसार सड़क की चौड़ाई से प्रभावित होने वाले अनधिकृत निर्माण को अजुबन्ध के आधार पर शमन किये जाने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि लखनऊ में लिम्ब मास्टरप्लान को प्रस्तावित करते समय मुख्यतः लिम्ब सड़को को चौड़ा किये जाने का प्रस्ताव है :-

- |    |                  |   |     |                                                   |
|----|------------------|---|-----|---------------------------------------------------|
| 1- | नेशनल हाइवे      | - | 1-  | लखनऊ - कानपुर रोड,                                |
|    |                  |   | 2-  | लखनऊ-बाराबंकी रोड (फैजाबाद रोड),                  |
|    |                  |   | 3-  | सीतापुर रोड ।                                     |
| 2- | प्राविन्धियन रोड | - | 1-  | हरदोई रोड ।                                       |
| 3- | अन्य सड़के       | - | 1-  | डैन्ट रोड,                                        |
|    |                  |   | 2-  | महात्मा गांधी मार्ग,                              |
|    |                  |   | 3-  | तुलसीदास मार्ग-                                   |
|    |                  |   | 4-  | ऐशवाग रोड, जिसमें गुरुद्वारा रोड भी सम्मिलित है । |
|    |                  |   | 5-  | बुनबुनजी रोड,                                     |
|    |                  |   | 6-  | सुभाष मार्ग,                                      |
|    |                  |   | 7-  | अकवरी गेट से आलमनगर को जाने वाली सड़क,            |
|    |                  |   | 8-  | मन्सूर नगर रोड,                                   |
|    |                  |   | 9-  | कुसी रोड,                                         |
|    |                  |   | 10- | जगत बारायण रोड ।                                  |

उपरोक्त सड़को के साथ उपलब्ध भूमि उतनी नहीं है कि उनको प्रस्तावित चौड़ाई के अनुसार चौड़ा किया जा सके । वैसे जहाँ इन सड़को के चौड़ा किये जाने का प्रश्न है बहुत ही आवश्यक है + विचार विमर्श के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि यह विषय बहुत अधिक महत्वपूर्ण है अतः इस विषय पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से राय मशविरा करके विकास प्राधिकरण के आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

मद सं० 16 :

यू० पी० स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तावित सरोजनी नगर औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्तावित संशोधन ले-आउट प्लान की स्वीकृति के लिये पुनर्विचारार्थ एवं औपचारिक निदेश सम्बन्धी विषय से अवगत कराते हुये कहा कि उक्त ले-आउट प्लान नियंत्रक प्राधिकारी की बैठक दिनांक 15-3-73 में स्वीकृत हुआ और उस पर कार्यवाही की जा रही थी । इसी मध्य उक्त संस्था द्वारा एक संशोधित ले-आउट प्लान प्रस्तुत कर दिया गया । इस संशोधित ले-आउट प्लान में प्लॉटों की संख्या 16 अधिक हो गई है । विचार विमर्श के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि इसे मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ठीक तरह से देख ले तथा अन्तिम निर्णय ले सकते हैं । इस कार्य के लिये सर्वसम्मति से मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को अधिकृत किया गया ।

मद सं० 17 :

लखनऊ मास्टरप्लान में विधानसभा मार्ग एवं स्टेशन रोड के भू-उपयोग को कार्यालय एवं व्यापारिक उपयोग के लिये परिवर्तित करने के संबंध में वरिष्ठ नगर नियोजक ने अवगत कराया कि लखनऊ मास्टरप्लान प्रस्तावित करते समय कार्यालय निर्माण के स्थल रखे गये थे लेकिन जो स्थान निर्माण के लिये प्रस्तावित किया गया है उससे आवश्यकता वही अधिक प्रतीत होती है । साथ ही अर्ध सरकारी एवं व्यापारिक संगठनों ने अपने उपयोग के लिये नये व्यापारिक भवनों की इच्छा व्यक्त की और ऐसा देखने में आया है कि विधान सभा मार्ग एवं स्टेशन रोड (रायत होटल से गाजीउद्दीन हैदर कैनाल तक) पर विकास

करते के प्रस्ताव आये है । उन्ही तथ्यों को ध्यान में रखते हुये मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की अनुमति पर उक्त क्षेत्र का सर्वे किया जा रहा है तथा रफ सर्वे प्लान तैयार किया गया है जिसमें उक्त क्षेत्र में किस भवन का क्या उपयोग इस समय है दिखाया गया है । अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उक्त सर्वे प्लान को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक श्री दुवे ने बताया कि इस क्षेत्र में कुछ लोगों ने वदमाशी शुरू कर दी है और अनधिकृत रूप से प्रस्तावित भू-उपयोग के विरुद्ध निर्माण कर रहे हैं । श्री डेंडी ने कहा कि ऐसे 'वनों' का डिमालिशन क्यों नहीं किया जाता है । उप सचिव, स्वायत्त शासन ने बताया कि व्यावहारिक रूप से डिमालिशन नहीं होवे पाता है । उपाध्यक्ष ने कहा कि रोड-विड्युथ के अनुसार सेट बैक वगैरह छोड़कर कार्यालय एवं कुछ छण्डों में व्यापारिक उपयोग के लिये कर दिया जाय तो कुछ हद तक आवश्यकता पूरी हो जायगी । उप सचिव, स्वायत्त शासन ने कहा कि छण्डों में भू-उपयोग परिवर्तित करना उचित नहीं होगा । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने कहा कि यदि बड़े बड़े छण्डों का उपयोग परिवर्तित कर दिया जायगा तो छोटे छोटे छण्डों को पार्क आदि का स्थान नहीं बचेगा । इसलिये छण्डों में भू-उपयोग परिवर्तन कार्य उपयुक्त नहीं होगा । उप सचिव ने कहा कि यदि भू-उपयोग परिवर्तित किया जाता है तो यूनिफार्म विड्युथ का वेज होना चाहिये । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पहले मुख्य नगर नियोजक स्थिति से संतुष्ट हो तो तत्पश्चात् ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है । यह तय किया गया कि विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ नगर नियोजक पूरी योजना मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के समक्ष रखेंगे व उनकी राय के साथ पूरा मामला अगली बैठक में रखा जायगा ।

सद सं० 18 : सचिव, विकास प्राधिकरण ने सूचित किया कि पब्लिक सेक्टर में 172 भवनों के निर्माण की स्वीकृति हडको द्वारा प्रदान कर दी गई है उसके लिये शीघ्र ही शृण प्राप्त हो जायगा । जिसके लिये गवर्नमेन्ट गारन्टी प्राप्त करना है । अतः उक्त विषय विकास प्राधिकरण के सूचना एवं अनुमोदनाई प्रस्तुत किया गया है । उपाध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में पहले ही काफी विचार विमर्श हो चुका है और गवर्नमेन्ट से गारन्टी प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करनी है । अतः सर्वसम्मति से गवर्नमेन्ट गारन्टी देकर वेरिफ शृण लेने की अनुमति के साथ ही साथ योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई ।

ह०/- वीरेन्द्र देव व्यास  
(वीरेन्द्र देव व्यास)  
आयुक्त  
लखनऊ मण्डल, लखनऊ  
एवं  
अध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ ।